

विषय सूची

भाग - क

	पृष्ठ संख्या
परिचय	1
महत्वपूर्ण भावी चुनौतियां	5
राजकोषीय रूपरेखा	6
सु-शासन	7
कृषि	7
अनिधिबद्ध का निधियन	8
जन धन से जन सुरक्षा	9
अवसंरचना	10
वित्तीय बाजार	12
स्वर्ण का मुद्रीकरण	13
निवेश	14
सुरक्षित भारत	15
पर्यटन	15
हरित भारत	15
स्किल इंडिया	16
डिजिटल इंडिया	18
बजट अनुमान	19

भाग - ख

कर प्रस्ताव	20
निष्कर्ष	28
अनुबंध	29
भाग - ख के अनुबंध	
(क) प्रत्यक्ष कर	31
(ख) अप्रत्यक्ष कर	36

बजट 2015-2016

वित्त मंत्री

अरुण जेटली

का

भाषण

28 फरवरी, 2015

अध्यक्ष महोदया,

1. मैं वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।
2. मैं यह बजट एक ऐसे आर्थिक माहौल में प्रस्तुत कर रहा हूँ जो अभी हाल ही में बीते दिनों के आर्थिक माहौल की तुलना में अधिक सकारात्मक है। जबकि विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वहीं भारत एक बार फिर से विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक विकास के संबंध में अपना पहले किया गया पूर्वानुमान 0.3% कम कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने, विश्व व्यापार विकास का अपना पूर्वानुमान 5.3% से घटाकर 4% कर दिया है। तथापि भारत के संबंध में पहले लगाया पूर्वानुमान या तो बढ़ा दिया गया है या उसमें कोई कमी किए बिना, उसे पूर्व के स्तर पर ही रखा गया है। अध्यक्ष महोदया, हमने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राज्यों को भी समान भागीदार के रूप में सम्मिलित किया है। राज्यों को आर्थिक रूप से इतना अधिक सशक्त बनाया गया है जितना पहले कभी नहीं बनाया गया था। मुझे विश्वास है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों में से किसी के भी द्वारा किए गए व्यय का प्रत्येक रूपया देश में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त करके, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान करेगा।
3. पिछले नौ महीनों के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास की गति में तेजी लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता फिर से लौटी है। दुनिया के देश मानने लगे हैं कि यह समय भारत के लिए प्रगति के पथ पर उड़ान भरने का समय है।

कुछ तो फूल खिलाए हमने, और कुछ फूल खिलाने हैं,
मुश्किल यह है बाग में अब तक, काँटे कई पुराने हैं।

4. हालांकि केंद्रीय बजट अनिवार्य रूप से लोक वित्त का लेखा विवरण है, किंतु पारंपरिक रूप से यह भारत की आर्थिक नीति की दिशा और गति की रूपरेखा बताने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। अतः मेरे प्रस्तावों में विकास की गति को तीव्रतर बनाने, निवेश में वृद्धि करने, निवेश में और विकास प्रक्रिया के फायदे को देश के आम आदमी, महिला, युवा और बच्चों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इनके जीवन-स्तर में सुधार किया जाना है। यह वह पथ है जिस पर हम पूरे इरादे से और बिना रुके चलते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने भी अक्सर कहा है कि हमारी सरकार चौबीसों घंटे और पूरे वर्ष काम करने वाली सरकार है।

5. महोदया, मैं देश में हमारी सरकार द्वारा कामगाज शुरू किए जाने के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था में आए बदलावों का जिक्र करना चाहता हूँ। नवंबर 2012 में सीपीआई मुद्रास्फीति 11.2 प्रतिशत थी, 2013-14 की पहली तिमाही तक चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत पर पहुँच गया था तथा मार्च, 2014 तक सामान्य विदेशी निवेश अंतर्वाह 15 बिलियन अमरीकी डालर था। हमें एक ऐसी भावना विरासत में मिली जो मैं कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य और निराशा से ओत-प्रोत थी तथा निवेशक समुदाय का हम पर भरोसा प्रायः खत्म हो गया था।

6. तब से, हमने एक लंबी दूरा तय की है। नवीनतम सीपीआई मुद्रास्फीति दर 5.1 प्रतिशत तथा थोक मूल्य मुद्रास्फीति ऋणात्मक स्तर पर है; इस वर्ष चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत से कम रहने की संभावना है; नई श्रृंखला के आधार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.4 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है जिससे भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अप्रैल, 2014 के बाद से देश में लगभग 55 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी निवेश अंतर्वाह हुआ है जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 340 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया है। रुपया विश्व के प्रमुख देशों की मुद्राओं की तुलना में पहले से 6.4 प्रतिशत अधिक मजबूत हुआ है। हमारा पूंजी बाजार विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में दूसरा सबसे अच्छा निष्पादन करने वाला बाजार था। संक्षेप में, अध्यक्ष महोदया, हमारी अर्थव्यवस्था में नाटकीय ढंग से आमूल-चूल बदलाव आया है। हमने अपने वृहत-आर्थिक स्थायित्व को फिर से प्राप्त किया है तथा स्थायी तौर पर गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और दो अंकों में संपोषणीय आर्थिक विकास संबंधी परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशक हमारी ओर नए हित और आशा के साथ देख रहे हैं।

7. अध्यक्ष महोदया, इन चुनौतियों के प्रति विशेष रूप से जागृत होने के साथ ही ये चुनौतियाँ हमें आशावादी बने रहने के लिए भी प्रेरित करती हैं। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के मौजूद होने के बावजूद, मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति इस कारण उत्पन्न हुई कि हमने उसे उत्पन्न होने दिया। भारत की जनता ने शीघ्र बदलाव, तीव्र विकास और उच्चतम स्तर की पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए हमें सत्ता सौंपी है। जनता चाहती थी कि देश से घोटाला, स्कैंडल और भ्रष्टाचार का राज समाप्त हो। वह ऐसी सरकार चाहती थी जिस पर वह विश्वास कर सके। हम उस विश्वास पर खरे उतरे हैं।

8. हमारे कार्य मूल अथवा वृहत्-आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। इनका प्रसार सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी है। प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन; वित्तीय समावेशन;

आम अदमी के स्वास्थ्य और स्वच्छता; बालिकाओं और उनकी शिक्षा; युवाओं के लिए रोजगार; उन्नत और अप्रतिकूल कर प्रशासन; प्रसुविधाओं की प्रभावी सुपदर्गी; निवेश और रोजगार सृजन; श्रमिकों के कल्याण; कृषि उत्पादकता और कृषि आय बढ़ाने; विद्युत; डिजिटल कनेक्टिविटी; हमारे युवाओं का कौशल विकास करने; सरकार में प्रभावी और बेहतर कार्य संस्कृति; व्यवसाय करने को सुगम बनाने; उत्तर-पूर्वी राज्यों को मुख्यधारा में लाने और हमारे राष्ट्रीय गर्व और संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए कार्य किए गए हैं। मैं, इनका ब्यौरा इस भाषण के अनुबंध में दे रहा हूँ।

9. अध्यक्ष महोदया, हमारे द्वारा किए गए कार्यों में से मैं, तीन उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारी सरकार की विशेषता और दृढ़ विश्वास को दर्शाती हैं। पहली उपलब्धि जन धन योजना की सफलता है। वित्तीय समावेशन के बारे में दशकों से बातें की जा रही हैं। किसने सोचा होगा कि 100 दिनों की अल्प-अवधि में, 12.5 करोड़ से अधिक परिवार वित्तीय मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे? दूसरी उपलब्धि कोयला नीलामियां रही। पहले राज्यों को केवल रायल्टी के लाभ मिलते थे। अब, हमारी पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया से कोयला वाले राज्यों को कई लाख या करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे। ये राज्य इनका उपयोग लंबे समय से प्रतीक्षित सामुदायिक आस्तियों के सृजन और अपने लोगों के कल्याण के लिए कर सकते हैं।

10. तीसरी उपलब्धि 'स्वच्छ भारत' है। भारत का पुनरुद्धार करने के लिए इस अभियान को आंदोलन में बदलने में हम कामयाब रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं, 2014-15 में निर्मित 50 लाख शौचालयों की बात करता हूँ और मैं, इस महान सदन के सदस्यों को आश्चर्य भी करता हूँ कि हम छह करोड़ शौचालयों का निर्माण-कार्य करने के लक्ष्य को, वास्तव में, प्राप्त कर लेंगे। महोदया, स्वच्छ भारत केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्यक्रम नहीं है बल्कि दूरदर्शिता से देखा जाए तो यह एक निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता निर्माण कार्यक्रम है।

11. हमने अब आर्थिक परिस्थितियों को अत्यधिक बेहतर बनाने के लिए दो सुधार कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। ये वस्तु एवं सेवा कर और प्रसुविधाओं के प्रत्यक्ष अंतरण के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक समीक्षा में वर्णित त्रिसूत्री योजनाएं, जन धन, आधार और मोबाइल - हैं। 1 अप्रैल, 2016 तक वस्तु एवं सेवा कर से अत्याधुनिक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आएगी। ये त्रिसूत्री सुविधाएं हमें क्षतिरहित, सुलक्षित और नकदी रहित तरीके से प्रसुविधाओं का अंतरण कर सकेंगी।

12. अध्यक्ष महोदया, मेरी सरकार की मुख्य उपलब्धि, महंगाई पर काबू पाना रही है। मेरे विचार से, महंगाई में यह कमी संरचनात्मक परिवर्तन को परिलक्षित करती है। हमें आशा है कि आगे चलकर, इस वर्ष की समाप्ति पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लगभग 5 प्रतिशत रहेगी। इससे मौद्रिक नीति को और सहज बनाया जा सकेगा।

13. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति पर हमारी जीत संस्थानिक है। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मौद्रिक नीति रूपरेखा करार किया है। मैंने, 2014-15 के बजट भाषण में इसका वादा किया था। इस रूपरेखा में मुद्रास्फीति को 6% से नीचे रखने के लक्ष्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। मौद्रिक नीति समिति का गठन करने के लिए, हम, इस वर्ष, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे।

14. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, हाल ही में, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नई श्रृंखला जारी की है। इस नई श्रृंखला में पुरानी श्रृंखला की तुलना में कई बदलाव किये गए हैं। नई श्रृंखला के आधार पर, 2014-15 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित विकास दर 7.4 % है। वर्ष 2015-16 में, विकास दर 8 से 8.5% के बीच रहने की उम्मीद है। दो अंकीय विकास दर हासिल करने का लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा होता दिखाई दे रहा है।

15. मैं, अब, हमारे सामने जो कार्य हैं उनका जिक्र करता हूँ। अब से पूर्व, सात दशकों में, हमने सामाजिक और आर्थिक सूचकों के संबंध में प्रतिशतताओं और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या के अनुसार कार्य किए हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं भी वृद्धिशील परिवर्तन होने नहीं जा रहे हैं। हमें बड़े परिवर्तन के बारे में विचार करना होगा।

16. वर्ष 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन और राज्य सरकारों के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित 'टीम इंडिया' के विजन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) भारत में प्रत्येक परिवार के लिए घर हो। 2022 तक 'सबके लिए घर' के लिए टीम इंडिया को शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ घरों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी।
- (ii) देश के प्रत्येक घर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, शौचालय जैसी मूल सुविधाएं होनी चाहिए और वह सड़क से जुड़ा हो।
- (iii) प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य की आजीविका के साधनों और रोजगार अथवा आर्थिक अवसर तक पहुँच होनी चाहिए ताकि वह अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सके।
- (iv) गरीबी में पर्याप्त कमी लायी जाए। हमारी सभी स्कीमें गरीबों पर केन्द्रित होनी चाहिए। गरीबी उन्मूलन के इस कार्य के लिए हममें से प्रत्येक को स्वयं प्रतिबद्धता दिखानी होगी।
- (v) देश में शेष 20,000 गांवों का 2020 तक विद्युतीकरण किया जाए। इसमें ऑफ-ग्रिड सौर विद्युत उत्पादन शामिल है।
- (vi) सड़क मार्ग से न जुड़ी 1,78,000 बस्तियों में से प्रत्येक को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। इसके लिए वर्तमान में निर्माणाधीन 1,00,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण-कार्य पूरा करने और अन्य 1,00,000 किलोमीटर की सड़क की मंजूरी और निर्माण की आवश्यकता होगी।
- (vii) अच्छी सेहत जीवन-स्तर सुधारने और व्यक्ति की उत्पादकता दोनों तथा अपने परिवार की सहायता करने की उसकी सामर्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रत्येक गांव और शहर में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना पूर्णतः आवश्यक है।

- (viii) अपने युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें शिक्षित करना और कौशल संपन्न बनाना एक ऐसी वेदी है जिसके सामने हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे के लिए 5 किमी. के भीतर एक सीनियर सेकेन्डरी स्कूल हो, हमें 80,000 माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन करने तथा अन्य 75,000 जूनियर/मिडल स्तर तक के विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक स्तर तक करने की आवश्यकता है। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा में गुणवत्ता तथा शिक्षण परिणामों की दृष्टि से सुधार हो।
- (ix) ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि उपजों के लिए वाजिब दाम प्राप्त होना आवश्यक है। हमें सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाने, मौजूदा सिंचाई प्रणालियों की क्षमता में सुधार लाने तथा मूल्य वर्धन और कृषि से होने वाली आय में वृद्धि करने तथा कृषि-उत्पादों के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- (x) संचार की दृष्टि से, गांवों और शहरों के बीच भेद हमें अब स्वीकार्य नहीं है। हमें भेदभाव के बगैर सभी गांवों में संचार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- (xi) हमारी दो-तिहाई आबादी 35 वर्ष से कम उम्र वालों की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे युवाओं को उचित रोजगार प्राप्त हो, हमें, भारत को दुनिया का विनिर्माण केन्द्र बनाने के उद्देश्य को लेकर चलना होगा। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं।
- (xii) हमें भारत में उद्यमशीलता की भावना को भी प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है तथा नए उद्योग को शुरू करने में सहायता करनी है। इस प्रकार, हमारे युवा रोजगार तलाशने वालों के स्थान पर रोजगार देने वाले बन जाएंगे।
- (xiii) हमारे देश के पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कई मोर्चों पर विकास में पिछड़ रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे भी देश के शेष भागों के समतुल्य हों।

17. भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक, हमारी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव करीब पहुँच चुका होगा। हमें उपर्युक्त सभी लक्ष्य प्राप्त करने हैं ताकि भारत एक समृद्ध राष्ट्र के साथ-साथ एक परोपकारी विश्व शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सके। अपने स्वतंत्रता सेनानियों को यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

महत्वपूर्ण भावी चुनौतियाँ

18. अध्यक्ष महोदया, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चुनौतियों को लेकर मैं भी चिन्तित हूँ। मेरे विचार से पांच मुख्य चुनौतियाँ हैं। कृषि संबंधी आय दबावग्रस्त है। हमारी दूसरी चिन्ता है अवसंरचना में निवेश बढ़ाना। सरकारी-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से अवसंरचना में निवेश की स्थिति अभी भी खराब है, निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए, सरकारी क्षेत्र को कदम उठाने की आवश्यकता है।

19. हमारी तीसरी प्रमुख चुनौती यह है कि नए सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण, सकल घरेलू उत्पाद के 18% से गिरकर 17% रहा गया है; और विनिर्माण निर्यात, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% पर स्थिर रहा है। इस प्रकार, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार के सृजन द्वारा इस चुनौती से निपटना है।

20. चौथी चुनौती यह है कि हमें, सरकारी निवेश के लिए बढ़ती मांगों के बावजूद, राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखने की जरूरत है। सरकारी संघवाद की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए, हमने करों के विभाज्य कोष (पूल) का 42% हिस्सा राज्यों को अंतरित करना स्वीकार कर लिया है। स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला अनुदान या राजस्व घाटा इन अनुदानों में शामिल नहीं है, जो इसके अतिरिक्त हैं। जैसाकि महान सदन के सदस्यों को पता ही है कि यह एक अप्रत्याशित वृद्धि है। इससे राज्यों को अधिक संसाधन मिलने से वे सशक्त हो जाएंगे। राज्यों को 2014-15 के संशोधित अनुमानों के अनुसार ₹3.38 लाख करोड़ के अंतरण की तुलना में, 2015-16 में यह अंतरण ₹5.24 लाख करोड़ होगा। अनुदानों और आयोजनागत राशि के अंतरण के रूप में ₹3.04 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अंतरित की जाएगी। इस प्रकार, राज्यों को कुल अंतरण केंद्र के निवल कर राजस्व का लगभग 62% हो जाएगा।

21. केन्द्र के लिए घटती परिणामी राजकोषीय गुंजाइश के बावजूद, सरकार ने सड़कों सहित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, ग्रामीण अवसंरचना जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सहायता जारी रखने का निश्चय किया है। गरीबों और उपेक्षित लोगों के उद्देश्य से बनाए-गए कार्यक्रम जारी रहेंगे।

22. अपनी राजकोषीय स्थिति में न केवल गिरावट आयी है अपितु यह प्रायः खत्म सी हो गयी है। मुझे राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने की पांचवी चुनौती का मुकाबला करना है। इस वर्ष 11.5 प्रतिशत थी आर्थिक वृद्धि सांकेतिक अर्थ में लगभग 2 प्रतिशत कम थी जिसके कारण मुद्रास्फीति की दर कम होना है। परिणामतः, कर में उछाल भी काफी कम रहा। महोदया, इसके बावजूद, मैंने अपना वचन पूरा किया है, और हम विरासत में प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। अध्यक्ष महोदया, मुझे गरीबी में कमी लाने और उसे दूर करने के लिए इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय रूपरेखा

23. अध्यक्ष महोदया, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि मेरी सरकार, सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के प्रति कृत संकल्प है। किंतु इस प्रयास में सरकारी निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विचार करना होगा। सं.अ. से अधिक कुल अतिरिक्त सरकारी निवेश ₹1.25 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें से ₹70,000 करोड़ बजटीय परिव्यय से पूंजीगत व्यय होगा। हमें अत्यधिक घट गई राजकोषीय गुंजाइश, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं; और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण पड़ने वाले संभावित बोझ पर भी विचार करना होगा। मेरे विचार में, राजकोषीय समेकन हेतु चक्रीय तौर पर पूर्व निर्धारित समय सारणी की जल्दबाजी अथवा इस पर बल देना विकास के पक्ष में नहीं होगा। अर्थव्यवस्था सुधारों के साथ, राजकोषीय समेकन की गति में तेजी लाने का दबाव कम हो गया है। इन परिस्थितियों में, मैं 3% के

राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पहले से परिकल्पित दो वर्षों के बजाय 3 वर्षों में पूरा करूंगा। इस प्रकार, अगले तीन वर्षों के लिए मेरे लक्ष्य हैं: 2015-16 के लिए 3.9 प्रतिशत; 2016-17 के लिए 3.5 प्रतिशत; और 2017-18 के लिए 3.0 प्रतिशत। अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश में अवसंरचना में निवेश के वित्तपोषण हेतु प्रयोग में लायी जाएगी।

24. तदनुसार, मैं, एफआरबीएम अधिनियम के प्रति वित्त विधेयक में संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

25. अध्यक्ष महोदया, मैं एक आशावादी टिप्पणी के साथ राजकोषीय रूपरेखा पर विचार-विमर्श को विराम देना चाहता हूँ। जबकि संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, किन्तु रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और संरचना निर्माण की समग्र स्थिति निर्बाध रही है; वस्तुतः यह स्थिति इस वर्ष और प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में जारी रहेगी क्योंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कर राजस्व में इजाफा होगा। लोक वित्त के इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से, न केवल राजकोषीय समेकन की गाड़ी पटरी पर है अपितु इससे समग्र रूप में सरकारों के कुल सरकारी व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद की जा सकती है।

26. अध्यक्ष महोदया, आप देखेंगी कि बजट में विनिवेश संबंधी आंकड़े अत्यधिक स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें घाटा उठाने वाली इकाइयों में विनिवेश और कुछ स्ट्रेटेजिक विनिवेश, दोनों ही शामिल होंगे।

सु-शासन

27. अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार भारतीय के रूप में अपने संकल्प में एक न्यायप्रिय तथा अनुकंपा से परिपूर्ण देश के रूप में अपने पूर्व के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। विगत में अच्छे इरादों के साथ प्रारंभ की गई स्कीमें प्रायः अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी हैं, कमियों के जाल में उलझ गई हैं और इन पर अक्षमता का ठप्पा लग गया है। यही स्थिति सब्सिडियों की भी है। सब्सिडियों की जरूरत गरीबों और वंचितों के लिए होती है। हमें सब्सिडी सुपुर्दगी की सुलक्षित प्रणाली की आवश्यकता है। हमें सब्सिडी क्षतियों को कम करने की आवश्यकता है न कि सब्सिडियों को ही समाप्त करने की। हम, इस दृष्टिकोण पर आधारित सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं।

28. हम उस पथ पर चल पड़े हैं। अधिकतर छात्रवृत्ति स्कीमों में शुरु किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों की मौजूदा संख्या 1 करोड़ से बढ़ाकर 10.3 करोड़ करने के लिए इसका और विस्तार किया जाएगा। इसी प्रकार, 11.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को ₹ 6,335 करोड़ का प्रत्यक्ष अंतरण किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के सदस्यों जैसे शीर्ष कर वर्ग वाले धनी व्यक्ति और जो वास्तव में गरीब व्यक्तियों के कल्याण के प्रति वस्तुतः चिंतित हैं, स्वेच्छा से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ देंगे।

कृषि

29. हमारे किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता गहरी है। हमने कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण दो बड़े कारकों अर्थात् मृदा और पानी के समाधान के लिए पहले ही प्रमुख उपाय किए हैं। सतत आधार पर मृदा उर्वरता में सुधार लाने के लिए, महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम शुरु की गई है। मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए, मैं कृषि मंत्रालय की परंपरागत कृषि विकास योजना के वित्तपोषण और पूर्ण सहायता का भी प्रस्ताव करता हूँ। प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक किसान के खेत में सिंचाई करने और जल घर

दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से बनायी गयी है। मैं, सूक्ष्म सिंचाई, जलसंभर विकास और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की सहायता हेतु ₹ 5,300 करोड़ आबंटित कर रहा हूँ। मैं राज्यों से आग्रह करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भरपूर सहयोग दें।

30. छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए, प्रभावी और निर्बाध कृषि ऋण की सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। मैं, 2015-16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की निधियों में ₹ 25,000 करोड़, दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण कोष में ₹ 15,000 करोड़, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि हेतु ₹ 45,000 करोड़ और अल्पावधिक आरआरबी पुनर्वित्त निधि के लिए ₹ 15,000 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

31. कृषि ऋण हमारे मेहनतकश किसानों के प्रयासों को सहारा देते हैं। इसलिए मैंने 2015-16 के दौरान ₹ 8.5 लाख करोड़ के ऋण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बैंक यह लक्ष्य पार कर लेंगे।

32. हमारी सरकार मनरेगा के जरिए रोजगार में मदद करने के प्रति वचनबद्ध है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गरीब रोजगार के बगैर न रह जाए। हम मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। मैंने इस कार्यक्रम के लिए ₹ 34,699 करोड़ का आरंभिक आवंटन किया है।

33. हालांकि, किसान अब स्थानीय व्यापारी के शिकंजे में नहीं हैं परन्तु उसके उत्पाद को अभी भी सर्वोत्तम राष्ट्रीय कीमत नहीं मिलती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम राष्ट्रीय कृषि बाजार सृजित करें जिससे मूल्य वृद्धियों को कम करने के अनुषंगी लाभ होंगे। मैं, इस वर्ष एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन हेतु नीति में राज्यों के साथ कार्य करने का इच्छुक हूँ।

अनिधिबद्ध का निधियन

34. अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि विकास से समावेशी विकास होगा। जबकि बड़े कारपोरेट और कारोबारी कंपनियों को भूमिका निभानी है। इसे अधिकतम रोजगार सृजन में लगे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संपूरित करना होगा। लगभग 5.77 करोड़ छोटे व्यवसाय वाली यूनिटें हैं और अधिकतर व्यक्ति स्वामित्व की हैं तथा छोटे विनिर्माण, व्यापार अथवा सेवा व्यवसाय चलाते हैं और इनमें 62% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। ये पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर हैं। ये मेहनतकश उद्यमी असंभव तो नहीं, पर मुश्किल से ऋण की औपचारिक प्रणालियों तक पहुंच पाते हैं। मैं, इसलिए, 20,000 करोड़ की निधि और 3,000 करोड़ की गारंटी निधि से सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक सृजित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुद्रा बैंक सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, जो ऐसी छोटी कारोबार इकाइयों को उधार देने के व्यवसाय में लगी हैं जो प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के जरिए संचालित और पुनर्वित्तपोषण करेगा। उधार देने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये उपाय युवा, शिक्षित अथवा कुशल

श्रमिकों का भरोसा बढ़ाएंगे जो पहली पीढ़ी के उद्यमों बनने की इच्छा रखने में समर्थ होंगे; विद्यमान छोटे व्यवसायी भी अपने कार्यकलापों का विस्तार करने में समर्थ होंगे। जिस प्रकार हम बिना बैंक वालों को बैंक वाला बना रहे हैं उसी तरह हम अनिधिबद्ध को निबद्ध कर रहे हैं।

35. दीर्घकालिक प्राप्य संग्रहण चक्रों के कारण किसी सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम की कार्यशील पूंजी जरूरत का महत्वपूर्ण भाग उत्पन्न होता है। हम ट्रेड डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) की स्थापना करने की प्रक्रिया में हैं जो बहुविध फाइनेंसर्स के जरिए कारपोरेट और अन्य क्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण सुसाध्य बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म होगा। यह महत्वपूर्ण रूप से इस उद्यम क्षेत्र में नकदी में सुधार लाएगा।

36. रेशम औद्योगिक कंपनी अधिनियम तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो ये लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं। हम वित्त वर्ष 2015-16 में विस्तृत दिवालियापन कोर्ड लाएंगे। जो वैश्विक मानक पूरे करेगा और आवश्यक न्याय क्षमता की व्यवस्था करेगा।

37. सरकार औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। इस संदर्भ में, सरकार देश भर में फैले सभी गावों में मौजूद, 1,54,000 स्थानों पर विशाल डाक नेटवर्क का उपयोग करना चाहती है। मुझे आशा है कि डाक विभाग अपने उद्यम से भुगतान बैंक को सफल बनाएंगे ताकि यह प्रधान मंत्री जनधन योजना में और योगदान कर सके।

38. समुत्थान से संबंधित मामलों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएमसी) की अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ विनियमन में समानता लाने के लिए, यह प्रस्ताव है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की परिसंपत्ति आधार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-एनडी को सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार "वित्तीय संस्था" के तौर पर अधिसूचनाओं हेतु विचार किया जा सकेगा।

जन धन से जन सुरक्षा तक

39. भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग-स्वास्थ्य, दुर्घटना अथवा जीवन-किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही है। दुःखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी। प्रधान मंत्री जन धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मैं सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों के वरिष्ठों के लिए कार्यशील सामाजिक नेटवर्क सृजित करने के कार्य का प्रस्ताव करता हूं।

40. शीघ्र शुरु की जाने वाली प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना मात्र 12 रु. प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹ 2 लाख के दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। इसी तरह, हम अटल पेंशन योजना की शुरु करेंगे यह अंशदान की अवधि पर निर्भर रहते हुए एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार 31 दिसंबर 2015 से पहले खोले गए नए खातों में पांच वर्ष के लिए, 1000 रुपए प्रति वर्ष तक सीमित, लाभार्थियों के प्रीमियम के 50 प्रतिशत का अंशदान करेगी।

41. तीसरी सामाजिक सुरक्षा योजना जिसकी मैं घोषणा करना चाहता हूं। वह है - प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह ₹ 2 लाख नैसर्गिक मृत्यु और के दुर्घटना जोखिम को कवर

करेगी। आयु समूह 18-50 के लिए इसरा प्रिमियम ₹ 330 प्रतिवर्ष अथवा ₹ एक प्रतिदिन से कम होगा।

42. पीपीएफ में लगभग ₹ 3,000 करोड़ और ईपीएफ निधि में लगभग ₹ 6,000 करोड़ की बिना दावे की जमा राशियां पड़ी हैं। मैंने निधि में इन राशियों के विनियोजन हेतु वित्त विधेयक में अदावाकृत निक्षेप अधिनियम के अधिनियमन का प्रस्ताव किया है जिसका उपयोग इनके प्रीमियमों को सब्सिडी देने पर किया जाएगा। कमजोर वर्गों वृद्धावस्था पेंशनरों, बीपीएल कार्ड धारकों और छोटे और सीमान्त किसानों तथा अन्य को प्रीमियम पर सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया जाएगा। एक ब्यौरेवार स्कीम मार्च में शुरू की जाएगी।

43. इस बीच, देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या को भी विशेष सम्मान दिए जाने की जरूरत है, जिनकी संख्या लगभग 10.5 करोड़ है और इनमें से एक करोड़ से ज्यादा 80 वर्ष से ऊपर वाले हैं। इनमें 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी बड़ी संख्या बीपीएल श्रेणी वालों की है। इनका काफी बड़ा प्रतिशत बड़ी उम्र से जुड़ी विकलांगताओं से भी पीड़ित है। हमारा ऐसा समाज है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता यंत्र और सहायता जीवन साधन उपलब्ध कराने की नई स्कीम शुरू की जाए।

44. संक्षेप में ये सामाजिक सुरक्षा स्कीमें जन धन प्लेटफार्म का उपयोग करने में हमारी वचनबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शाती है कि किसी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना अथवा वृद्धावस्था में अभाव का चिन्ता न करनी पड़े। गरीबों, उपेक्षितों और वंचितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए चल रही कल्याण योजनाओं के प्रति भी वचनबद्ध है। मैं इन कार्यक्रमों हेतु निम्नानुसार आवंटन बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ :

अनु.जाति	₹30,851 करोड़
अनु.जनजाति	₹19,980 करोड़
महिला	₹79,258 करोड़

45 उन अल्पसंख्यक युवाओं को समर्थ बनाने के लिए इस वर्ष 'नई मंजिल' नामक एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका स्कीम आरम्भ की जाएगी, जिसके पास औपचारिक स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र नहीं होता जिससे वे कोई या बेहतर रोजगार प्राप्त कर पाते। इसके आलावा, पारसियों की दिखावटी सभ्यता और संस्कृति के लिए सरकार 2015-16 में 'दी एवरलास्टिंग प्ले' नामक एक प्रदर्शनी में मदद करेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए आबंटन संरक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के लिए ब.अ. में ₹ 3,738 करोड़ है।

अवसंरचना

46. अध्यक्ष महोदय, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि विगत दशक में मुख्य चूक अवसंरचना के मोर्चे पर हुई हैं। हमारी अवसंरचना हमारी विकास महत्वाकांक्षा के अनुरूप नहीं है। तत्काल सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाने की भारी आवश्यकता है। अतः मैंने रेलवे को सड़कों

और सकल बजटीय सहायता दोनों पर परिव्यय क्रमशः ₹ 14,031 करोड़ और ₹ 10,050 करोड़ बढ़ा दिया है। सरकारी क्षेत्र की यूनिटों का पूंजी व्यय ₹ 3,17,889 करोड़ होना अनुमानित है, इसमें संशोधित अनुमान 2014-15 से लगभग ₹ 80,844 करोड़ की वृद्धि है। वस्तुतः अवसंरचना में सभी निवेश वर्ष 2015-16 में 2014-15 के मुकादबले सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के केन्द्र की निधियों और संसाधनों से ₹ 7,000 करोड़ बढ़ जाएंगे।

47. दूसरा, मैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि स्थापित करना और इसमें ₹ 20,000 करोड़ का वार्षिक प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए धन प्राप्त करना चाहता हूँ। इससे यह ट्रस्ट बदले में ऋण जुटाने और भारतीय रेल वित्त निगम और एनएचबी जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों में इक्विटी के रूप में निवेश कर सकेगा। इसके बाद अवसंरचना वित्त कंपनियाँ इस अतिरिक्त इक्विटी को कई गुना बढ़ा सकती हैं। तीसरी, मैं, रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर मुक्त अवसंरचना बांडों को जारी करने की भी अनुमति देना चाहता हूँ। चौथा, अवसंरचना विकास के सरकारी निजी भागीदारी मोड की समीक्षा करना एवं पुनरुज्जीवित करना है। इसमें शामिल प्रमुख मुद्दा है जोखिम को पुनर्संतुलित करना। अवसंरचना परियोजनाओं में, सरकार को निःसंदेह इसको पूर्ण रूपेण आत्मसात किए बगैर जोखिम के बड़े भाग को वहन करना होगा।

48. पांचवां, मैं नीति में अटल नवोन्मेष मिशन की भी स्थापना करना चाहता हूँ। अटल नवोन्मेष मिशन एक नवोन्मेष संवर्धन मंच होगा। इसमें शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा और भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को आकर्षित करेगा। यह मंच सरकारी और निजी क्षेत्रों में दोहराव के लिए श्रेष्ठ परंपराओं को भी बढ़ावा देगा। आरंभ में इस प्रयोजन के लिए ₹ 150 करोड़ की राशि निश्चित की जाएगी।

49. भारत के पास सुप्रतिष्ठित और विश्वस्तरीय आईटी उद्योग है। इसके पास लगभग 150 बिलियन अमरीकी डालर का राजस्व, 100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निर्यात होता है, सीधे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब हम इन्हें आरंभ करने में अधिक सूचि देख रहे हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, विचारों से मूल्यों का सृजन करना और उन्हें कार्यक्रमों एवं आरोह्य उद्यमों में बदलना तथा कारोबार हमारे युवा वर्ग को कार्य में लगाने और हमारे देश का समावेशी एवं स्थायी विकास करना हमारी कार्यनीति का मुख्य आधार है। वैश्विक पूंजी जुटाने की अधिक उदार प्रणाली, हमारे उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नत सुविधाएं, आधार पूंजी और विकास के लिए वित्तपोषण और कारोबार करने की सुगमता जैसी चिंताओं जिससे खरबों डालर के मूल्य का सृजन होगा, का निराकरण ट्रिलियन डालरों का सृजन करने के लिए किया जाएगा।

50. इस उद्देश्य के साथ सरकार सेतु (स्व-रोजगार और प्रतिभा का उपयोग) नामक तंत्र की स्थापना कर रही है। सेतु एक औद्योगिकीय-वित्तीय उद्भवन होगा और अन्य स्व-रोजगार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करने हेतु सहायता कार्यक्रम होगा। इस प्रयोजन के लिए, मैं नीति आयोग में आरंभिक रूप में ₹ 1000 करोड़ निर्धारित करता हूँ।

51. चूंकि लघु पत्तनों में सफलता दिखायी दी है, निजी क्षेत्र के लिए पत्तन आकर्षक निवेश संभावना बन सकते हैं। पत्तनों को निजी क्षेत्र में ऐसा निवेश जुटाने तथा उनके पास अप्रयुक्त

पड़े भू-संसाधनों का उत्थान करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए, निजी क्षेत्र के पत्तनों को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित होने और कंपनियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

52. अध्यक्ष महोदया, घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निवेशकों से लगातार शिकायत आती रही है कि भारत में निवेश करने और परियोजना शुरू करने की हमारी प्रतिबद्धता अनेक प्रकार की अनुमति लेने में बीते हुए बहुत अधिक समय के द्वारा कमतर आंकी गई। ये अनुमतियां विभिन्न कानूनों/नीतियों के अधीन ली जाती हैं। क्या भारत निवेश के लिए गंतव्य बन सकता है, जो व्यवसाय खोलने के लिए सार्वजनिक रूप से बताए गए दिशा-निर्देशों और मानदण्डों के अनुसार अनुमति प्रदान करता है, जो विनियामक तंत्र के अद्यधीन होते हैं।

53. मैं, इस प्रयोजन के लिए संभावना की जांच करने और विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना चाहता हूं, जहां कई पूर्वानुमतियों को पहले से ही मौजूद विनियामक तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके।

54. सरकार 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव रखती है, प्रत्येक की क्षमता 4000 मेगावाट की होगी और वे प्लग एण्ट प्ले मोड में होंगी। पारदर्शी नीलामी पद्धति के द्वारा परियोजना के कार्य पर संविदा दिया जाने से पूर्व सभी तरह की मंजूरियां क्रियान्वित की जाएंगे। इसे ₹ 1 लाख करोड़ तक का निवेश खोलना चाहिए। इस प्रयास की सफलता के आधार पर, सरकार, सड़क, पत्तनों, रेल लाइनों, हवाई अड्डों आदि जैसी अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में इस प्रकार की प्लग-एण्ड-प्ले परियोजनाओं पर भी विचार करेगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि कुडनकुलम न्यूक्लीयर विद्युत केन्द्र की दूसरी यूनिट 2015-16 में चालू हो जाएगी।

55. अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष के दौरान कर उछाल से कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आशा करता हूं। यदि मैं सफल हुआ तो बजटीय आवंटन से मनरेगा के लिए ₹ 5000 करोड़ आवंटन बढ़ाने का प्रयास करूंगा, एकीकृत बाल विकास स्कीम के लिए ₹ 1500 करोड़, एकीकृत बाल संरक्षण स्की के लिए ₹ 500 करोड़ और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ₹ 3000 करोड़ और एनआईआईएफ में ₹ 5000 करोड़ का आरंभिक अंतर्वाह के लिए प्रयास करूंगा।

वित्तीय बाजार

56. भारत में अवसंरचना सेक्टर में निवेश सहित निवेश प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भारतीय बांड बाजार की गहनता है, जिसे हमें उसी स्तर पर लाना है जहां हमारा विश्व स्तरिय इक्विटी बाजार है। मैं, इस वर्ष लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना करके, इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहता हूं। इससे भारत का विदेशी उधार और घरेलू ऋण दोनों एक ही छत के नीचे आ जाएंगे।

57. मैं वायदा बाजार आयोग को सेबी में विलय करने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि वस्तु वायदा बाजारों का विनियमन मजबूत किया जा सके और अंधाधुंध संट्रेबाजी कम की जा सके। वित्त विधेयक, 2015 में, विधान को समर्थकारी बनाने, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

58. पूंजी लेखा नियंत्रण एक नीति है न कि विनियामक विषय। अतः, मैं वित्त विधेयक के जरिए फेमा की धारा-6 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की जा सके कि इक्विटी की तरह ही पूंजी प्रवाहों पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जाएगा।

59. समुचित रूप से कार्यशील पूंजी बाजार के लिए यथोचित उपभोक्ता संरक्षण की भी जरूरत है। अतः मैं क्षेत्रीय तटस्थ वित्तीय निपटान एजेंसी की स्थापना करने के लिए एक कार्य बल बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय डाटा प्रबंधन केन्द्र, वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण, समाधान निगम और लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी संबंधी कार्य बल को सौंपे गए कार्यों में संतोषजनक प्रगति हो रही है। हमने भारतीय वित्त संहिता के संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त किए हैं। इस समय, इनकी समीक्षा न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति द्वारा की जा रही है। मुझे विश्वास है कि देर-सबेर भारतीय वित्त संहिता को संसद में विचारार्थ पुरःस्थापित किया जाएगा।

60. अध्यक्ष महोदया, यह तो शुरुआत ही है। मेरी निगाह प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने पर है, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से दरों के संबंध में प्रतिस्पर्धी है, इसके लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है, बचतों को प्रोत्साहित करना है और अंतरवर्तियों से कर की उगाही नहीं करता है। ऐसी प्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से जिस आधुनिकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू कर रहे हैं, उसके समरूप है और इससे अधिक पारदर्शिता आएगी तथा ज्यादा निवेश बढ़ेगा।

61. अध्यक्ष महोदया, कर्मचारी भविष्य निधि खातों के संबंध में और कर्मचारी राज्य बीमा के दावा-अनुपात को सभी भलीभांति जानते हैं। यहां उनका उल्लेख करना मात्र पुनरावृत्ति होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों संस्थाएं सेवाप्रदाता कम और कल्याणपरक अधिक हैं। इसके अलावा, न्यून वेतन वाले कामगारों की वेतन कटौतियों का प्रतिशत बेहतर वेतन पाने वाले कामगारों की वेतन कटौतियों की तुलना में अधिक है।

62. कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में, कर्मचारी को दो विकल्प दिए जाने की आवश्यकता है। पहला, कर्मचारी स्वयं कर्मचारी भविष्य निधि या नई पेंशन स्कीम का विकल्प चुने। दूसरा, आरंभिक सीमा से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान, नियोक्ता के अंशदान को घटाए या प्रभावित किए बिना, वैकल्पिक होना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के सम्बन्ध में, कर्मचारी को कर्मचारी राज्य बीमा या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा मान्य कोई स्वास्थ्य बीमा उत्पाद चुनने का विकल्प होना चाहिए। सभी सम्बद्ध पक्षों से विचार-विमर्श के बाद, हम इस सम्बन्ध में कानून में संशोधन करना चाहते हैं।

स्वर्ण का मुद्रीकरण करना

63. भारत विश्व में स्वर्ण के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है तथा प्रतिवर्ष 800-1000 टन स्वर्ण का आयात करता है। यद्यपि, भारत में 20,000 टन से अधिक के स्वर्ण भण्डार का

अनुमान है; लेकिन अधिकांशतः यह स्वर्ण न तो व्यापार में और न ही मुद्राकरण में प्रयुक्त होता है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

- i) स्वर्ण मुद्राकरण स्कीम जारी की जाए, जो वर्तमान स्वर्ण जमा और स्वर्ण धातु ऋण स्कीमों दोनों का स्थान लेगी। नई स्कीम सोना जमा कराने वाले व्यक्ति को उसके धातु खाते में ब्याज अर्जन तथा ज्वेलरों को उनके धातु खाते में ऋण प्राप्त करने की अनुमति देगी। बैंक/अन्य डीलर भी स्वर्ण का मुद्राकरण कर सकेंगे।
- ii) वैकल्पिक वित्तीय आस्ति, सरकारी स्वर्ण बांड का स्वर्ण धातु की खरीद के विकल्प के रूप में भी विकास करना होगा। इन बांडों पर एक निश्चित ब्याज-दर होगी और बॉन्ड के धारक को बॉन्ड मोचन के समय स्वर्ण के अंकित मूल्य के संदर्भ में नकद प्रतिदेय होंगे।
- iii) भारतीय स्वर्ण सिक्का बनाने का काम शुरू करना, जिसके पटल पर अशोक चक्र बना होगा। इस प्रकार के भारतीय स्वर्ण सिक्कों से देश के बाहर बनाए गए सिक्कों की मांग में कमी आएगी और देश में उपलब्ध स्वर्ण के पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी।

64. काले धन के प्रवाह को रोकने का एक उपाय नकद होने वाले लेन-देनों को हतोत्साहित करना है। अब, अधिकतर भारतीयों के पास रुपये डेबिट कार्ड है या यह लिया जा सकता है। अतः मैं, जल्द ही कई उपाय आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनसे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड लेन-देन को प्रोत्साहित और नकद लेन-देनों को हतोत्साहित किया जाएगा।

निवेश

65. सेबी द्वारा वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन अधिसूचित किए गए हैं। ऐसी वैकल्पिक निवेश निधियां घरेलू निवेशों को सुसाध्य बनाने के लिए अन्य साधन प्रदान करेंगी। सभी स्रोतों से निवेशों को बढ़ाने की जरूरत के मद्देनजर, मैं, वैकल्पिक निवेश निधियों में विदेशी निवेशों की अनुमति देने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

66. विदेशी निवेश जुटाने के लिए, भारतीय कम्पनियों हेतु प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने हेतु, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशों, खासकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के बीच के विभेद को दूर किया जाए और उनके स्थान पर समिश्र उच्चतम सीमाएं लायी जाएं। जो क्षेत्र पहले से ही 100 प्रतिशत स्वचलित मार्ग के अंतर्गत आते हैं, प्रभावित नहीं होंगे।

67. भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति दक्षिण-पूर्वी एशिया में सघन आर्थिक और कार्यनीतिक सम्बन्धों को बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास है। इस क्षेत्र में भारतीय निजी सेक्टर से निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए, परियोजना विकास कंपनी सीएमएलवी देशों अर्थात् कम्बोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, पृथक विशेष प्रयोजन साधनों के माध्यम से, विनिर्माण केंद्रों की स्थापना करेगी।

सुरक्षित भारत

68. मेरी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए वचनबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा अधिवक्ता और जागरूकता वाले कार्यक्रमों की सहायता के लिए, मैंने निर्भया कोष में अतिरिक्त ₹1000 करोड़ मुहैया कराने का निर्णय किया है।

पर्यटन

69. भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर के 25 (पच्चीस) स्थल हैं। इनमें भूदृश्य बहाली, संकेत तथा भाषान्तर केन्द्र, पार्किंग, विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिगमन सुविधाएं; सुरक्षा और शौचालयों सहित आगन्तुकों हेतु सुख-सुविधाएं; तथा प्रकाशीकरण एवं उसके आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं आदि सुविधाओं की अभी भी पर्याप्त रूप से कमी है, और इनकी बहाली अपेक्षित है। मैं निम्नलिखित धरोहर स्थलों के लिए इन सुविधाओं पर आधारित कार्य शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- i) पुराने गोवा के चर्च और कॉन्वेंट
- ii) हम्पी, कर्नाटक
- iii) एलीफेन्टा गुफाएं, मुम्बई
- iv) राजस्थान में कुम्भलगढ़ और अन्य पहाड़ी किले
- v) रानी की वाव, पाटन, गुजरात
- vi) लेह पैलेन्स, लद्दाख, जम्मू कश्मीर
- vii) वाराणसी मंदिर टाउन, उ.प्र.
- viii) जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब
- ix) कुतुब शाही मकबरा, हैदराबाद, तेलंगाना

70. 43 देशों के पर्यटक यात्रियों को जारी आगमन वीजा की सफलता के बाद, मैं इस सुविधा के अंतर्गत 150 देशों, को चरणों में, शामिल करना चाहता हूँ।

हरित भारत

71. अध्यक्ष महोदया, यह अच्छी तरह ज्ञात है कि पर्यावरणीय प्रदूषण अन्य लोगों की अपेक्षा गरीबों के लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए हम वचनबद्ध हैं कि हमारी समूची विकास प्रक्रिया जहां तक संभव हो हरी-भरी हो। अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों पर हमारा वास्तविक “कार्बन टैक्स” अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। जहां तक कोयले का संबंध है, हमें प्रदूषण पर कर लगाने और विद्युत मूल्य के बीच एक बेहतर सन्तुलन तलाशने की जरूरत है। तथापि, इस,

वर्ष के आरम्भ में, मैं यह उपाय भी शुरू करना चाहता हूँ। मेरी सरकार फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल्स वाहन (एफएएमई) स्कीम भी आरंभ कर रही है। मैं, 2015-16 में इस स्कीम के लिए ₹75 करोड़ के आरंभिक परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अपना लक्ष्य संशोधित करके 1,75,000 मेगावाट कर दिया है। इसमें सौर द्वारा 1,00,000 मेगावाट, पवन द्वारा 60,000 मेगावाट, बायोमॉस द्वारा 10,000 मेगावाट और लघु पन बिजली से 5000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता शामिल है।

72. अध्यक्ष महोदया, हमने, घोटालों, घपलों और भ्रष्टाचार राज को पीछे छोड़ दिया है। सार्वजनिक प्रापण में कदाचार को एक अधिप्रापण कानून और एक संस्थागत ढांचा, जो अनसीटरल मॉडल के अनुरूप हो, लाकर रोक सकते हैं। मुझे विश्वास है कि संसद को शीघ्र ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमें प्रापण कानून की जरूरत है और यदि हां तो उसका आकार-प्रकार क्या हो?

73. दूसरी तरफ, सरकारी संविदाओं में उत्पन्न विवादों को सुलझाने में काफी समय लगता है, और उनके समाधान की प्रक्रिया भी काफी खर्चीली होती है। ऐसे विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को सुसाध्य बनाने के लिए, मेरी सरकार ऐसे विवादों के समाधान हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने के लिए सार्वजनिक संविदा (विवादों का समाधान) विधेयक पुरःस्थापित करना चाहती है।

74. मेरा मानना है कि अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में प्रचलित नियामक व्यवस्थाओं में भी आम दृष्टि और दर्शन के अभाव की समस्या से निपटने की भी आवश्यकता है। अतः हमारी सरकार विनियामक सुधार विधेयक पुरःस्थापित करना चाहती है। इससे अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में एक सर्वमान्य दृष्टिकोण बहाल किया जा सकेगा।

स्किल इंडिया

75. भारत विश्व के सर्वाधिक युवा राष्ट्रों में से है। हमारे देश की कुल आबादी का 54% से भी अधिक हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। आवश्यक है कि हमारे युवा 21वीं शताब्दी की नौकरियों के लिए शिक्षित और रोजगार पर रखे जाने योग्य हों। प्रधानमंत्री ने बताया है कि किस प्रकार 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के बीच गहरा तालमेल बैठाया जा सकता है। आज भी हमारे सक्षम कार्यबल के 5% से भी कम को ऐसा औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो पाता है ताकि वे रोजगार पर रखे जाने योग्य हों और रोजगार में बने रह सकें।

76. हम शीघ्र ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के जरिए एक राष्ट्रीय स्किल मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे कौशल संबंधी कार्यक्रमों को समेकित किया जाएगा तथा हमारी सभी 31 क्षेत्रीय कौशल परिषदों में प्रक्रियाओं और परिणामों के मानकीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। हम एक डिजिटल वाउचर कार्यक्रम भी तैयार कर रहे हैं। इससे प्रत्येक योग्यताप्राप्त छात्र किसी प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदाता से प्राप्त कर सकेगा।

77. चूंकि भारत की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा अभी भी गांवों में निवास करता है, अतः ग्रामीण युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि करना, भारत की आबादी में युवाओं की इस अधिक भागीदारी से लाभ उठाने की कुंजी है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की है। इस स्कीम के लिए ₹1,500 करोड़ की राशि निश्चित की गयी है।

78. इस वर्ष श्री दीन दयाल उपाध्याय का 100वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। सरकार इस महान राष्ट्रवादी के जन्म-दिवस को ठीक से मनाना चाहती है। शीघ्र ही 100वें जन्म दिवस आयोजन समिति के गठन की घोषणा कर दी जाएगी तथा समारोह हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

79. सभी गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र अपनी पसंद की उच्च शिक्षा, बिना किसी धनाभाव का सामना किए प्राप्त कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए, मैं, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से सभी छात्रवृत्तियों और साथ ही शिक्षा ऋण स्कीमों के आद्योपांत प्रशासन और निगरानी के लिए पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी युक्त छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र निधि की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें।

80. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जुलाई के बजट भाषण में, मैंने प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख केंद्रीय संस्थान उपलब्ध कराने की अपनी मंशा जाहिर की थी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्त वर्ष 2015-16 में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जाए। बिहार में आयुर्विज्ञान को बढ़ावा देने के मद्देनज़र, मैं इस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अन्य संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, कर्नाटक में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्थापित करने तथा इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को एक परिपूर्ण आईआईटी में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, अमृतसर में एक बागवानी अनुसंधान तथा शिक्षा स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। जम्मू-कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए जाएंगे। केरल में मैं, मौजूदा राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण संस्थान को निःशक्तता अध्ययन तथा पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं तीन नए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। जिनमें से एक-एक संस्थान क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा तथा नागालैंड और ओडिशा में एक-एक विज्ञान तथा शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

81. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन में सुधार लाने के लिए, सरकार का विचार एक स्वायत्त बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित करने का है। यह ब्यूरो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की तलाश और उनका चयन करेगा और अलग-अलग कार्यनीति तथा नवोन्मेष वित्तीय तरीकों और लिखतों के जरिये पूंजी जुटाने की योजनाएं तैयार करने में उनकी मदद करेगा। यह बैंकों के लिए नियंत्रक और निवेश कंपनी स्थापित करने की दिशा में एक अंतरिम कदम होगा।

डिजिटल इंडिया

82. अध्यक्ष महोदया, मैं, सदन को बताना चाहूँगा कि हम डिजिटल इंडिया तैयार करने की दिशा में सही प्रगति कर रहे हैं। 2.5 लाख गांवों को जोड़ने वाले 7.5 लाख किमी के राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान की जा रही है जिसके लिए इच्छुक राज्यों को इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिस पर आने वाले व्यय की दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, जिसने कार्यान्वयन के इस तरीके के लिए अपना विकल्प दिया है।

83. जैसा कि सदस्यगण जानते हैं, वित्त आयोग ने, अपनी सिफारिशें करते समय विशेष श्रेणी और अन्य राज्यों के बीच के भेद को खत्म कर दिया है। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल वित्त आयोग की सिफारिशों से सर्वाधिक लाभान्वित होने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को भी तीव्र विकास करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए, मैं, बिहार और पश्चिम बंगाल को उसी प्रकार की विशेष सहायता देने का प्रस्ताव करता हूँ जैसी आंध्र प्रदेश सरकार की स्थिति में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जहां तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सम्बन्ध है, सरकार इनके पुनर्गठन के समय इन राज्यों के साथ की गई सभी कानूनी वचनबद्धताओं को पूरा करने के प्रति कृतसंकल्प हैं।

84. राज्यों को किए जाने वाले अन्तरण में भारी वृद्धि ने केंद्र के लिए समान अनुपात में राजकोषीय गुंजाइश में कमी की है, फिर भी हम गरीबों और नव-मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, गरीबों और वंचितों के लिए स्कीमों में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। उदाहरणार्थ, मैंने, मध्याह्न भोजन सहित शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹68,968 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹33,152 करोड़ तथा मनरेगा सहित ग्रामीण विकास कार्यों हेतु ₹ 79,526 करोड़, आवास और शहरी विकास के लिए ₹22,407 करोड़, महिला एवं बाल विकास के लिए ₹10,351 करोड़, तथा जल संसाधन और नमामि गंगे के लिए ₹4173 करोड़ का आबंटन किया है। राज्यों द्वारा इन विषयों पर खर्च की गई महत्वपूर्ण राशि के साथ ही इन क्षेत्रों में विकास काफी बढ़ेगा। मैं, राज्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इन क्षेत्रों में अपने बड़े हुए संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग करें।

85. अध्यक्ष महोदया, मैं दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर के मामले में हुई अच्छी प्रगति से प्रसन्न हूँ। गुजरात में अहमदाबाद-धौलेरा निवेश क्षेत्र, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट शेन्द्रा-बिदकिन औद्योगिक पार्क, अब, बुनियादी अवसंरचना पर काम शुरू करने की स्थिति में हैं। चालू वर्ष में, मैंने ₹1,200 करोड़ की आरंभिक राशि निश्चित की है। तथापि, खर्चों के बढ़ने की स्थिति में, मैं, अतिरिक्त निधियां मुहैया कराऊंगा।

86. किसी भी अन्य चीज से पहले, मातृभूमि के एक-एक इंच की रक्षा सर्वोपरि है। अभी तक हम, उदास और निरुत्साही बर्ताव के बावजूद, आयात पर ही निर्भर रहे हैं। हमारी सरकार ने पहले ही रक्षा में एफडीआई की अनुमति दे दी है ताकि भारत नियंत्रित निकाय हमारे लिए ही नहीं,

बल्कि निर्यात के लिए भी, रक्षा उपकरणों के विनिर्माता बनें। इस प्रकार, हम एयरक्राफ्टों सहित रक्षा-उपकरणों के क्षेत्र में उच्चतर आत्म-निर्भरता हासिल करने की दिशा में और मेक इन इंडिया नीति का पालन कर रहे हैं। सम्मानित सदन के सदस्यों ने देखा होगा कि हमने रक्षा उपकरणों की खरीद से जुड़े मामलों में पारदर्शी और शीघ्र निर्णय लिए हैं। ताकि हमारी रक्षा सेनाएं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस वर्ष भी, मैंने सशस्त्र बलों की जरूरतों के लिए यथेष्ट संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इस वर्ष संभावित व्यय ₹2,22,370 करोड़ के मुकाबले है, 2015-16 के लिए ₹2,46,727 करोड़ का बजट आबंटन किया गया है।

87. यद्यपि भारत में वित्तीय विषयों और अंतरराष्ट्रीय वित्त के उत्कृष्ट ज्ञाता हैं पर देश की प्रगति के लिए उनकी क्षमता को पूर्णतया प्रतिबिंबित और दोहन करने के लिए भारत में अवसर सीमित हैं। गुजरात में जीआईएफटी की परिकल्पना एक अन्तरराष्ट्रीय वित्त केंद्र के रूप में की गई थी परन्तु वास्तव में यह यह सिंगापुर या दुबई के जैसा ही अन्तरराष्ट्रीय वित्त केंद्र बन जाएगा और संयोगवश इसे भारतीयों द्वारा ही चलाया जाता है। यह प्रस्ताव वर्षों से ऐसा ही है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता रही है कि जीआईएफटी का पहला चरण शीघ्र ही वास्तविकता बन जाएगा। यथोचित विनियम मार्च में जारी किए जाएंगे।

88. सरकार का वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए, विधि आयोग की 253वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर भारत में विभिन्न न्यायालयों में अनन्य वाणिज्यिक प्रभाग गठित करने का प्रस्ताव है। सरकार इस संबंध में हितधारकों से परामर्श करने के पश्चात संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है।

89. अध्यक्ष महोदया, सरकार पूर्व में जारी किए गए अध्यादेशों को संसद के अधिनियमों में बदलने के लिए अपेक्षित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करेगी।

बजट अनुमान

90. मैं अब बजट 2015-16 के बजट अनुमान की ओर आता हूँ।

91. वित्त वर्ष के आयोजना-भिन्न व्यय के अनुमान इसके लिए ₹13,12,200 करोड़ अनुमानित हैं। आयोजना व्यय ₹465,277 करोड़ होना अनुमानित है जो 2014-15 के सं.अ. के बहुत करीब है। तदनुसार, कुल व्यय ₹17,77,477 करोड़ अनुमानित है। रक्षा, आंतरिक सुरक्षा पर व्यय और अन्य आवश्यक व्ययों के लिए जरूरतों हेतु समुचित रूप से व्यवस्था की गई है।

92. सकल कर प्राप्तियां ₹14,49,490 करोड़ अनुमानित हैं। राज्यों को अंतरण ₹5,23,958 करोड़ अनुमानित है। केंद्र सरकार का हिस्सा ₹9,19,842 करोड़ रुपए होगा। अगले वित्त वर्ष के लिए कर-भिन्न राजस्व ₹2,21,733 करोड़ अनुमानित हैं।

93. उपरोक्त अनुमानों के चलते, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत होगा।

भाग ख

अध्यक्ष महोदय,

94. अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

95. कराधान सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने की एक लिखत है। कर संग्रहण, लोगों को अपने जीवन स्तर में सुधार लाने और गरीबी, बेरोजगारी तथा मंदगति से विकास संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, आवास तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में, सरकार की मदद करते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विगत नौ महीनों में हमारा यह प्रयास रहा है कि एक स्थायी कराधान नीति और अप्रतिकूल कर-भिन्न प्रशासन को संपोषित किया जाए। हमारे कर प्रशासन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आयाम काले धन की बुराई के विरुद्ध संघर्ष है। इस दिशा में अनेक उपाय किए जा चुके हैं। मैं इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूँ।

96. हमें यह सुनिश्चित करने के लिए विकास और निवेश के पुनरूद्धार की आवश्यकता है कि हमारे युवाओं के लिए और अधिक रोजगार सृजित हों तथा विकास के फायदे हमारे करोड़ों गरीब लोगों को प्राप्त हों। इसके लिए हमें एक समर्थकारी कर नीति की आवश्यकता है। मैं इस गरिमामयी सदन के पिछले सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित कर चुका हूँ। जीएसटी द्वारा हमारे आर्थिक कार्यों के मार्ग में एक युगांतकारी भूमिका निभाने की आशा है। इसके परिणामस्वरूप एक सामान्य भारतीय बाजार के विकास और वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को कम करने से हमारी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार होगा। हम अगले वर्ष से वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

97. हमें अप्रत्यक्ष कराधान में इस युगान्तरकारी विधान को प्रत्यक्ष कराधान में परिवर्तनकारी उपायों के सदृश्य बनाने की आवश्यकता है। भारत में कारपोरेट कर की 30 प्रतिशत की मूल दर अन्य दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान दरों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च है, जो हमारे घरेलू उद्योग को अप्रतिस्पर्धी बनाता है। इसके अलावा, कारपोरेट करों का प्रभावी संग्रहण लगभग 23 प्रतिशत है। हम ही दोनों स्तरों पर हाथ धो बैठते हैं, अर्थात् हमारी गणना उच्च कारपोरेट करों वाली प्रणाली के रूप में की जाती है लेकिन अत्यधिक छूटों की बजट से हमें वह कर प्राप्त नहीं हो पाता है। छूटों की प्रणाली से दबाव वाले समूह, मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिला है तथा राजस्व की हानि हुई है। इससे परिहार्य विवेक की भी गुंजाइश पैदा होती है। अतः, मैं अगले 4 वर्षों में कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे निवेश के उच्चतर स्तर, उच्चतर विकास तथा और अधिक रोजगार का पथ प्रशस्त होगा। कर की दरों में कमी लाने की प्रक्रिया के साथ-साथ कारपोरेट करदाताओं के लिए विभिन्न प्रकार की कर छूटों और प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाया जाना तथा समाप्त करना भी आवश्यक है, जो संयोगवश रूप से बड़ी संख्या में कर विवादों का कारण बनते हैं।

98. मैं चाहता हूँ कि कारपोरेट कर की दर को चरणबद्ध रूप से कम किया जाए तथा छूटों को सही तरीके से कम किया जाए; लेकिन मेरा मानना है कि इस आशय का अग्रिम नोटिस देना उपयुक्त रहेगा कि ये बदलाव अगले वित्त वर्ष से आरम्भ हो जाएंगे। हमारी सुविचारित नीति, कर नीति में औचक आश्चर्यों और अस्थिरता से बचना है। तथापि, वैयक्तिक करदाताओं को छूटें मिलती रहेंगी क्योंकि वे बचतों को सुगम बनाते हैं जो निवेश और आर्थिक विकास में तब्दील हो जाती हैं।

99. अपने कर प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान करते समय, मैंने कतिपय व्यापक विषय स्वीकार किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) काले धन पर काबू पाने के लिए उपाय;
- (ख) विकास और निवेश के पुनरुद्धार और घरेलू विनिर्माण के संवर्धन तथा 'मेक इन इंडिया' के जरिए रोजगार सृजन;
- (ग) व्यापार को सुगम बनाने में सुधार लाने के लिए न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम अभिशासन;
- (घ) स्वच्छ भारत कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार लाना;
- (ङ) मध्यम वर्ग के करदाताओं को लाभ; और
- (च) अर्थव्यवस्था के अधिकतम लाभों के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

100. अध्यक्ष महोदया, मेरे कर प्रस्तावों का प्रथम और प्रमुख आधार काले धन की समस्या से कारगर ढंग से निपटना है क्योंकि यह समस्या हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के प्राणाधार को आघात पहुँचाती है। गरीबी और असमानता की समस्याओं का तब तक निराकरण नहीं किया जा सकता जब तक कि काले धन के उत्पन्न होने और उसे छिपाने के कृत्य से प्रभावी रूप से और बलपूर्वक निपटा न जाए।

101. पिछले 9 महीनों में, इस दिशा में अनेक उपाय किए गए हैं। अक्टूबर 2014 में तब एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई जब राजस्व विभाग से एक प्रतिनिधि मंडल ने स्विटजरलैंड का दौरा किया तथा स्विस् अधिकारी (क) आयकर-विभाग द्वारा जिन मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है उनके संबंध में सूचना प्रदान करने; (ख) बैंक खातों की वास्तविकता की पुष्टि करने और गैर-बैंकिंग सूचना प्रदान करने और; (ग) ऐसी सूचना समय बद्ध रूप में प्रदान करने; और (घ) दोनों देशों के बीच सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के लिए शीघ्रातिशीघ्र भारत के साथ बातचीत शुरू करने पर सहमत होना। अप्रकटीकृत विदेशी आस्तियों के मामलों में जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिससे पर्याप्त मात्रा में असूचित आय का पता चला है। देश में विभिन्न स्रोतों से सूचना संग्रहण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है जिसमें रिपोर्ट करने वाले निकायों द्वारा विवरणों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करना शामिल है। इसे आंकड़ों का निर्बाध समेकन और अधिक प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित होगा।

102. जो धन कानूनी रूप से देश की संपत्ति है उसका पता लगाना और देश में वापस लाना देश के प्रति हमारी सुनिश्चित प्रतिबद्धता है। मौजूदा कानून के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं का पालन करते हुए, हमने विदेश में जमा काले धन से विशेष रूप से निपटने के लिए एक व्यापक नया कानून निर्मित करने पर एक सुविचारित निर्णय लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मैं संसद के वर्तमान सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित करना चाहता हूँ।

103. अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से काले धन के संबंध में प्रस्तावित नए कानून की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

- (1) विदेशी आस्तियों के संबंध में आय और आस्तियों को छिपाना और कर वंचन अभियोजन-योग्य होगा तथा इसके लिए 10 वर्षों तक के कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है, इसके अतिरिक्त,
 - इस अपराध को अशमनीय बनाया जाएगा;
 - अपराधकर्ता को समझौता आयोग तक पहुँचने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और
 - आय और आस्तियों को इस प्रकार छिपाए जाने के लिए कर के 300% की दर पर शास्ति लगायी जाएगी।
- (2). विदेशी आस्तियों के निबंध में रिटर्न जमा न करने या अपर्याप्त प्रकटन सहित रिटर्न जमा करने के लिए अभियोजन चलाया जाएगा और इसके लिए 7 वर्षों तक के कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है।
- (3). किसी अप्रकटीकृत विदेशी आस्ति से आय या विदेशी आस्ति से अप्रकटीकृत आय पर अधिकतम सीमांत दर पर कर अधिरोपित किया जाएगा। ऐसे मामलों में यदि अन्यथा कोई छूट या कटौती लागू होती है तो उसकी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- (4). विदेशी आस्तियों के लाभभोगी स्वामी या लाभभोगी व्यक्ति के लिए रिटर्न जमा करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा, तब भी यदि कोई कर योग्य आय नहीं हो।
- (5). उपर्युक्त अपराधों के दुष्प्रेरक पर चाहे वह व्यक्ति, निकाय, बैंक या वित्तीय संस्था हो, अभियोजन चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है।
- (6). विदेशी खाते को खोलने की तारीख के संबंध में निर्धारिती द्वारा आय विवरणी में अनिवार्यतः उल्लेख करना अपेक्षित होगा।
- (7). किसी विदेशी आस्ति के संबंध में आय छिपाने या करवंचन के अपराध को धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत एक स्थापित अपराध

बनाया जाएगा। यह उपबंध प्रवर्तन एजेंसियों को विदेश में धारित बेहिसाबी आस्तियों को कुर्क या जब्त करने तथा काले धन के शोधन में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की शक्ति प्रदान करेगा।

- (8) पीएमएलए के अंतर्गत "अपराध के आगम" की परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है ताकि यदि किसी मामले में विदेश में स्थित आस्ति की जब्ती नहीं की जा सके तो भारत में समतुल्य आस्ति की कुर्की और जब्ती की जा सकती है।
- (9) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(फेमा) में इस आशय का संशोधन किया जा रहा है कि यदि कोई विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में भारत से बाहर कोई स्थावर सम्पत्ति धारित है तो उक्त सम्पत्ति के मूल्य के समतुल्य भारत में स्थित किसी सम्पत्ति के संभावित अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जा सकेगी। इस उल्लंघन को शास्ति अधिरोपण और पांच वर्ष के कारावास सहित अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा रहा है।

104. घरेलू काला धन समाप्ति के लिए, एक नया और अधिक व्यापक बेनामी संव्यहार (प्रतिषेध) विधेयक शीघ्र ही संसद के चालू सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा। इससे बेनामी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जा सकेगा तथा इसके लिए अभियोग चलाने के लिए व्यवस्था की जा सकेगी, इस प्रकार, बेनामी सम्पत्ति विशेषकर रीयल एस्टेट के क्षेत्र में, काला धन के अर्जन के मुख्य अवसर और धारण पर रोक लगायी जा सकेगी।

105. देश में काले धन की समाप्ति के लिए बजट में कुछ अन्य उपायों के प्रस्तावों का भी जिक्र है। वित्त विधेयक में किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद के लिए नकद रूप में ₹20,000 या इससे अधिक की राशि के संदाय को स्वीकार किए जाने के निषेध के लिए, आयकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। एक लाख रुपए से अधिक मूल्य की किसी भी खरीद या बिक्री के लिए पैन का उल्लेख करना बाध्यकारी किया जा रहा है। थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग निकायों द्वारा विदेशी मुद्रा बिक्रियों तथा सीमा पार संव्यवहारों की सूचना दिया जाना भी जरूरी है। उल्लेखनीय संव्यवहारों के विखंडन की जांच के लिए भी उपबंध किया जा रहा है: प्रवर्तन सुधारने की दृष्टि से, सीबीडीटी और सीबीईसी प्रौद्योगिकी का विकास करेगी एक दूसरे से सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।

106. अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष मेरे कराधान प्रस्तावों का दूसरा स्तंभ घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में विकास और निवेश की बहाली और उसके संवर्धन तथा मेक इन इण्डिया के माध्यम से नौकरियों का सृजन करना है। इस दिशा में देशी तथा विदेशी दोनों तरह की पूंजी आकर्षित करने के लिए, मैं अनेक उपायों का प्रस्ताव करता हूँ। श्रेणी-I और श्रेणी-II दोनों ही वैकल्पिक निवेश निधियों को टैक्स 'पासथ्रू' की अनुमति देने का प्रस्ताव है, ताकि इन निधियों में निवेशकों पर कर वसूला जाए। इससे इन निधियों को उच्चतर संसाधन जुटाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा और लघु तथा मझोले उद्यमों, अवसंरचना और सामाजिक परियोजनाओं में अधिक निवेश किया जाएगा, और नए उद्यमों तथा आरंभिक उपक्रमों में अधिक निजी इक्विटी मुहैया कराई जाएगी।

107. पिछले बजट में उन्हें आंशिक पास-थ्रू देते हुए, रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्टों (इनविट्स) को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से उपाय किया गया था। विनिर्माण गतिविधियों की बहाली करने के लिए सामूहिक निवेश महत्वपूर्ण है। विभिन्न पूर्ण परियोजनाओं में भारी मात्रा में निधियां अवरूद्ध हैं जिन्हें नई अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू करने को सुसाध्य बनाने के लिए जारी किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, आरईआईटी तथा इनविट्स इकाइयों की लिस्टिंग के समय पर विद्यमान प्रायोजकों के लिए प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) का संदाय करने की शर्त पर पूंजीगत अभिलाभ प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। आरईआईटी की निजी आस्ति से भाड़ा अर्जित आय पास-थ्रू सुविधायुक्त होगी।

108. वर्तमान कराधान संरचना में ऑफशोर लोकेशनों से काम कर रहे निधि प्रबंधकों के लिए प्रोत्साहन अंतर्निहित है। इन अपतटीय निधि प्रबंधकों को भारत में दुबारा लाने-बसाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु में स्थायी स्थापन (पी.ई.) मानकों को इस आशय से आशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ कि भारत में निधि प्रबंधक की उपस्थित मात्र से ही ऑफशोर निधियों की पी.ई. गठित नहीं होगी जिसके प्रतिकूल परिणाम होंगे।

109. सामान्य अपवंचन निवारक नियमावली (गार) के कार्यान्वयन का मामला बहस का विषय रहा है। देश में निवेश की भावना अब सकारात्मक हो चली है और हमें इस गति को और तेज करने की जरूरत है। गार से संबंधित कतिपय विवादास्पद मामले भी हैं जिन्हें सुलझाए जाने की आवश्यकता है। अतः, गार के लागू होने को दो वर्षों तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि जब भी गार लागू होगा तो वह 01.04.2017 को या उसके बाद किए जाने वाले निवेशों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।

110. आज मैं देखता हूँ कि अनेक युवा उद्यमी व्यवसायिक उद्यम चला रहे हैं अथवा नए व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। इसलिए निम्न लागत पर छोटे व्यवसायों को प्रौद्योगिक अंतर्वाह सुसाध्य बनाने के लिए, मैं तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी और शुल्क पर आयकर की दर 25% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

111. रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि नए नियमित कर्मकारों के रोजगार हेतु कटौती के लाभ सभी व्यवसाय निकायों को दिया जाए। न्यूनतम 100 नियमित कर्मकारों की पात्रता की आरंभिक सीमा घटाकर 50 की जा रही है।

112. घरेलू विनिर्माण और मेक इन इंडिया के संवर्धन के संदर्भ में, अप्रत्यक्ष करों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अप्रत्यक्ष करों में, कुछ निविष्टियों, कच्चे माल, मध्यवर्तियों और सभी 22 मदों के संघटकों पर बुनियादी सीमाशुल्क की दर घटाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि शुल्क व्युत्क्रम को न्यूनतम किया जा सके और अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण लागत घटाई जा सके। एसएडी लगाने के कारण कुछ अन्य परिवर्तन सेनवैट क्रेडिट संग्रहण की समस्या का समाधान कर देंगे। आईटीए बाउंड मदों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु पापुलेटिड प्रिंटेड सर्किट बोर्डों के सिवाय, सभी

वस्तुओं को पूर्ण छूट देने और वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त पर कुछ अन्य निविष्टियों और कच्चे माल के आयातों पर एसएडी घटाने का प्रस्ताव करता हूँ। विभिन्न परिवर्तनों का ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध में दिया गया है।

113. मेरा अगला प्रस्ताव बिजनेस करने को सहज बनाने पर ध्यान देते हुए न्यूनतम शासन और अधिकतम अभिशासन तथा कर राजस्व पर समझौता किए बगैर कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में है। देश में 2013-14 में कुल धन कर संग्रहण ₹1008 करोड़ था। क्या कोई कर जिसके संग्रहण में अधिक लागत लगती हो और लाभ कम होता हो उसे जारी रखा जाए या इसे निम्न लागत और उच्च प्राप्ति वाले कर से बदल दिया जाए? धनी व्यक्तियों को, कम आय वाले व्यक्तियों की तुलना में, अधिक कर देना चाहिए इसलिए मैंने धन कर समाप्त करने और ₹1 करोड़ वार्षिक से अधिक की कर योग्य आय वाले बड़े धनवानों पर 2% अतिरिक्त अधिभार से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे कर सरलीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और विभाग को कर अनुपालन और कराधार बढ़ाना सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देने में समर्थ बनाएगा। ₹1008 करोड़ के कर त्याग देने के एवज में, इन उपायों के जरिए विभाग को 2% अतिरिक्त प्रभार से लगभग ₹ 9,000 करोड़ का संग्रहण होगा। इसके अतिरिक्त, व्यष्टियों और कंपनियों द्वारा धारित धन का पता लगाने के लिए, आस्तियों के बारे में सूचना, जो धन-कर विवरणी में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, को आयकर विवरणियों में ले लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि धन कर का उत्पादन किसी आय को टेक्स नेट से बचने न दे।

114. आयकर अधिनियम में अप्रत्यक्ष अंतरण संबंधी उपबंध जो पिछली सरकारों की देन है, में अनेक अस्पष्टताएं हैं। इस उपबंध को समुचित रूप से संशोधित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विदेशी कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को अदा किए गए लाभांशों के अप्रत्यक्ष अंतरण के उपबंधों को लागू करने संबंधी चिंताओं का समाधान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकारक परिपत्र के जरिए किया जाएगा। ये परिवर्तन शक्तियों के विवेकशील प्रयोग की संभावना समाप्त करेंगे और करदाताओं को अवरोध मुक्त ढांचा उपलब्ध कराएंगे।

115. इसके अतिरिक्त, छोटे करदाताओं से जुड़ी दिक्कतों और घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण में अनुपालन लागत कम करने के लिए, मैं आरंभिक सीमा ₹ 5 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 20 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

116. विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए मैट उपबंधों को तर्क-संगत बनाने के लिए उन प्रतिभूतियों, जिनपर निम्न दर पर कर लगता है, में लेनदेन पर पूंजी अभिलाभों से उनकी आय के अनुरूप लाभ मैट के अध्यक्ष नहीं होंगे।

117. कर प्रशासन सुधार आयोग ने कर विभागों में प्रशासनिक सुधार के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें जांच के अंतिम स्तर पर हैं और इस वर्ष के दौरान उपयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएंगी।

118. वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में किए गए सुधारों के भाग के रूप में, मैं शिक्षा उप-कर, और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उप-कर को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में शामिल करने का प्रस्ताव करता

हूँ। प्रभावी रूप से, उपकरणों सहित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की 12.36% की सामान्य दर को 12.5% के समतुल्य पूर्णांकित की जा रही है। मैं, अनुबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, कतिपय अन्य जिंसों में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की विशिष्ट दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, पेट्रोल और डीजल के मामले में, ऐसी विशिष्ट दरों का, वर्तमान में, उनपर उद्ग्रहित शिक्षा उपकरण की मात्रा तक शामिल करने के लिए संशोधन किया जा रहा है ताकि उत्पाद-शुल्कों के कुल प्रभाव में कोई परिवर्तन न हो। 12% से कम उत्पाद-शुल्क की यथामूल्य दरों और कुछ अपवादों के साथ 12% से उच्चतर दरों में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। सिगरेट पर उत्पाद-शुल्क लगाने और पान मसाला, गुटखा और अन्य कतिपय तम्बाकू उत्पादों पर प्रवृत्त मिश्रित उत्पाद-शुल्क स्कीम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं।

119. घरेलू चमड़ा फुटवियर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चमड़े से बने ऊपरी भाग वाले फुटवियरों और जिनका खुदरा मूल्य ₹ 1000 प्रति जोड़ी से अधिक है पर उत्पाद-शुल्क घटाकर 6% किया जा रहा है।

120. व्यवसाय करने को और अधिक सहज करने के लिए, ऑनलाइन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर पंजीकरण दो कार्यदिवसों में किया जाएगा। इन करों के अधीन निर्धारित डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए इनवायसेज को जारी करने और इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड रखने की अनुमति होगी। इन उपायों से कागजी काम और लालफीताशाही में कमी आएगी। निविष्टियों और निविष्टि सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट लेने की समय-सीमा छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष की जा रही है। यह भी व्यवसाय सहजता का एक उपाय है।

121. कारोबार और उद्योग में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने की काफी उत्सुकता है। केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा सेवाओं पर कर उद्ग्रहण के सुचारु अंतरण को सहज बनाने के लिए, सेवा कर और शिक्षा उप-कर की 12.36 प्रतिशत की वर्तमान दर में वृद्धि करके 14% की समेकित दर करने का प्रस्ताव है।

122. अध्यक्ष महोदया, घरों की साफ-सफाई और स्वच्छ पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य हैं। इसलिए इस वर्ष, मेरे कराधान प्रस्तावों का चौथा आधार स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रमों से संबंधित है। मैंने, अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाले अंशदानों को छोड़कर, स्वच्छ भारत कोष में दिए जाने वाले अंशदानों के लिए 100% कटौती का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार का कर उपाय स्वच्छ गंगा निधि के लिए भी प्रस्तावित है।

123. अप्रत्यक्ष करों में, स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए कोयला, आदि के प्रति मीट्रिक टन पर स्वच्छ ऊर्जा उप-कर ₹100 से बढ़ाकर ₹200 करने का प्रस्ताव करता हूँ। ओद्योगिक प्रयोग को छोड़कर एथिलिन के पालिमरों के बोरो और बस्तों पर उत्पाद शुल्क 12% से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है। यदि आवश्यकता होती है, तो सभी अथवा कतिपय सेवाओं पर 2% अथवा इससे कम दर पर स्वच्छ भारत उप-कर लगाने के लिए समर्थकारी प्रावधान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। यह उप-कर अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस उप-कर से सृजित संसाधनों का उपयोग स्वच्छ भारत के वित्तपोषण और संवर्द्धन कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

124. सामान्य जल-मल व्ययन उपचार संयंत्रों की सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का भी प्रस्ताव है। विद्युत से परिचालित वाहनों और हाईब्रिड वाहनों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कलपुर्जों पर वर्तमान में उपलब्ध सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क से छूट, और एक वर्ष बढ़ाकर, 31.03.2016 तक की जा रही है।

125. अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष मेरे कराधान प्रस्तावों का पांचवा स्तंभ है मध्यम वर्गीय कर दाताओं को लाभ प्रदान करना। इस संबंध में प्रस्ताव निम्नवत हैं:

- ☐ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती सीमा बढ़ाकर ₹15,000 से ₹25,000 करना।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा मौजूदा ₹20,000 से बढ़कर ₹30,000 होगी।
- 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं; उनके उपचार पर किए गए व्यय के लिए ₹30,000 की कटौती की अनुमति होगी।
- ☐ बहुत वरिष्ठ नागरिकों के मामले में गंभीर प्रकृति की विनिर्दिष्ट बीमारी के कारण होने वाले व्यय के लिए ₹60,000 की कटौती सीमा बढ़ाकर ₹80,000 करने का प्रस्ताव है।
- ☐ आय कर अधिनियम की धारा 80घघ और धारा 80प के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹25,000 की अतिरिक्त कटौती की अनुमति होगी।
- ☐ पेंशन निधि और नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख करने का प्रस्ताव है।
- ☐ व्यष्टियों को सामाजिक सुरक्षा नेट, और पेंशन की सुविधा मुहैया कराने के लिए, धारा 80गगघ के तहत नई पेंशन योजना में अंशदान के लिए अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती प्रदान करने का प्रस्ताव है इससे भारत पेंशन रहित समाज के बजाय पेंशनभोगी समाज बन सकेगा।
- ☐ सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश पहले से ही धारा 80ग के तहत कटौती के लिए पात्र है। जमा राशि पर ब्याज भुगतान सहित लाभार्थियों के लिए सभी भुगतानों को भी पूरी छूट दी जाएगी।
- ☐ परिवहन भत्ता छूट को ₹800 से बढ़ाकर ₹1600 प्रतिमाह किया जा रहा है।
- ☐ वरिष्ठ नागरिकों के फायदे के लिए वरिष्ठ बीमा योजना पर कर छूट दी जाएगी।

126. अध्यक्ष महोदया, मैं अपर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश के बावजूद, व्यष्टि कर दाताओं को रियायत दे रहा हूँ। पिछले बजट और इस बजट में मध्यम वर्गीय करदाताओं को दी गई रियायतों को ध्यान में रखते हुए, आज वैयक्तिक कर दाता को ₹4,44,200 का कर लाभ उपलब्ध कराया गया है, जैसाकि अनुबन्ध में देखा जा सकता है। जैसे ही मेरी वित्तीय क्षमता सुधरेगी, व्यष्टि कर दाताओं को और भी बहुत कुछ दिया जाएगा।

127. अध्यक्ष महोदया, कराधान से संबंधित अनेक विशिष्ट प्रस्ताव हैं। इनमें सड़क और अन्य अवसंरचना में निवेश का वित्तपोषण करने के लिए ₹4 प्रतिलीटर की सीमा तक लगने वाले विद्यमान उत्पाद-शुल्क को सड़क उपकरण में परिवर्तित करना शामिल है इन सेक्टरों के लिए इस उपाय का जरिए ₹40,000 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। सेवा कर में, फलों और सब्जियों के संबंध में कतिपय प्रशीतनपूर्व भण्डारण सेवाओं को छूट दी जा रही है ताकि इस महत्वपूर्ण सेक्टर में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके। सेवा कर के अंतर्गत नकारात्मक थोड़ी सी छोटी की जा रही है और कराधार बढ़ाने के लिए कतिपय अन्य छूटों को वापस लिया जा रहा है।

128. योग भारत का विश्व को एक बहुत बढ़िया तोहफा है। आय कर अधिनियम की धारा 2(15) के तहत धर्मार्थ प्रयोजन के दायरे में योग को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, बहुत से वास्तविक धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही समस्या को कम करने के लिए, व्यापार, वाणिज्य या कारोबार प्रकृति के क्रियाकलापों से होने वाली प्राप्तियों पर अधिकतम सीमा संशोधित करके ₹25 लाख की मौजूदा सीमा से कुल प्राप्तियां 20% करने का प्रस्ताव है। गैर-लाभकारी संगठनों का एक नेशनल डेटा आधार भी विकसित किया जा रहा है।

129. कुछ समय से प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिनियमन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिकांश उपबन्धों को आय कर अधिनियम में पहले ही शामिल कर लिया गया है। प्रत्यक्ष कर संहिता के कुछ पहलुओं में, जिन्हें छोड़ दिया गया था उनके बारे में हमने वर्तमान बजट में कुछ मुद्दों का समाधान किया है। इसके अतिरिक्त, आय कर अधिनियम के अधीन विधि शास्त्र को सुविकसित किया गया है। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए, प्रत्यक्ष कर संहिता जैसाकि आज मौजूद है, इसे आगे बढ़ाने में कोई खास फायदा नहीं होगा।

130. अध्यक्ष महोदया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध और सभा पटल पर रखे गए अन्य बजट दस्तावेजों में दिया गया है। मेरे प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से ₹8,315 करोड़ की राजस्व हानि होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों में प्रस्तावों से ₹23,383 करोड़ की प्राप्ति हो सकती है। अतः सभी कर प्रस्तावों के निवल प्रभाव से ₹15,068 करोड़ का राजस्व अभिलाभ होगा।

निष्कर्ष

131. अध्यक्ष महोदया, निष्कर्ष स्वरूप यह स्पष्ट है कि इस बजट की आशाएं बहुत ऊंची रही हैं। लोगों ने आमूल-चूल सुधारों के लिए हमसे आग्रह किया था। वे भी मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशाल सुपर टैंकर या हाथी है। अध्यक्ष महोदया, हाथी धीरे चलता है पर चलता जरूर है। यहां तक कि हमारे धुर विरोधी भी इस बात को मानेंगे कि हम तेजी से आगे बढ़े हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने इस भाषण में तात्कालिक तौर पर किए जाने वाले उपायों का ही जिक्र स्पष्ट रूप से नहीं किया है, बल्कि भविष्य की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की है।

132. मेरा मानना है कि मेरी सरकार पूर्णतया एक ईमानदार सरकार है। हमने हमेशा वही किया है जो हम कहते और करते हैं। अध्यक्ष महोदया, जिसके लिए हमने वोट पाए, जिसके लिए हम सत्ता में आए, हम इस बदलाव, विकास, नौकरियों और मौलिकता, गरीब और वंचित तबकों के कारगर उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। “दरिद्र नारायण” के प्रति हमारी वचनबद्धता अक्षुण्ण है, जो

जाति, पंथ या धर्म को ध्यान में रखे बिना समता और सबके लिए न्याय की हमारी संवैधानिक वचनबद्धता है। यह उपनिषद के इस मंत्र की भावना के अनुरूप है:

ओउम् सर्वे भन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काश्चिद् दुःखः भाग भवत।
ओउम् शांति..... शांति.....शांति.....

ओउम्! सभी सुखी हों,
सभी निरोग हों,
सभी अच्छा देखने वाले हों,
कभी किसी को कोई दुःख-शोक न हो,

133. अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।

अनुबंध

- **प्राकृतिक संसाधनों का आबंटन:** कोयला ब्लॉकों के आबंटन की नीलामी और खनन क्षेत्र में सुधार से यह सुनिश्चित होगा कि देश और उसके लोगों के विकास के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है।
- **वित्तीय समावेशन:** प्रधान मंत्री जन धन योजना के माध्यम से प्रत्येक भारतीय को इस वित्तीय समावेशन व्यवस्था का अंग बनाना है;
- **आम आदमी का स्वास्थ्य और स्वच्छता:** स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 'स्वच्छ भारत' अभियान की सफलतापूर्वक शुरुआत से बेहतर उत्पादकता और गरीब का कल्याण हो सकेगा।
- **बालिका और उनकी शिक्षा:** शेष प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण के लिए एक अभियान शुरू किया और साथ ही बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ अभियान का भी शुभारंभ किया गया है।
- **युवाओं के लिए रोजगार का सृजन:** 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत की गई है और इसे एक व्यापक प्रक्रिया और नीति पुनर्निर्माण के साथ संयोजित किया गया है ताकि भारत के लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों के सृजन हेतु वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाया जा सके।
- **बाधा रहित कारोबारी माहौल:** कर आतंकवाद को समाप्त करके एक अ-प्रतिकूल कर प्रणाली स्थापित की गई; वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर राजनीतिक सहमति सुनिश्चित की गई जिससे सांविधिक संशोधन विधेयक के विधानमंडल में पारित किया जा सके।

- **गरीबों को लाभों की सुपुर्दगी की प्रक्रिया दक्ष बनाई गई:** तकनीकी का प्रयोग करके राष्ट्रीय स्तर पर रसोई गैस सब्सिडी के सीधे अंतरण की शुरुआत की गई।
- **रोजगारों का सृजन करने के लिए निवेश को आकर्षित करना:** रक्षा, बीमा और रेलवे अवसंरचना में एफडीआई की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई; निर्माण और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में एफडीआई के लिए शर्तों को युक्तियुक्त बनाया गया;
- **रोजगार बाजारों का विस्तार और श्रमिक कल्याण को सुनिश्चित करना:** जिन राज्यों ने अपने श्रमिक कानूनों में सुधार किया है तथा 'श्रमेव जयते' अम्ब्रेला कार्यक्रम के इस क्षेत्र में व्यवस्थापरक बदलाव लाया है, उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- **बेहतर कृषि-उत्पादकता; कृषको की अधिक आय:** कृषि में बेहतर उत्पादकता के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड हेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
- **देश को ऊर्जा संपन्न बनाना:** कोयले की अनिश्चितता के बावजूद, ऊर्जा क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हुई और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ किए गए।
- **प्रौद्योगिकी - जमीन से आकाश तक:** सभी गांवों को ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी, मंगल ग्रह मिशन की सफलता के साथ ज्ञान और नवाचार आधारित समाज बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया।
- **कौशल युक्त भारत कार्यक्रम:** कौशल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है जो एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला है।
- **सरकार में क्षमता और बेहतर कार्य संस्कृति:** बिना भय के उत्तरदायित्व और क्षमता और पारदर्शिता के साथ कार्य संस्कृति का शुभारंभ किया गया; अनेक क्षेत्रों में नागरिकों को विश्वास दिलाने और स्वयं प्रमाणन को प्रोत्साहित करने का माहौल बनाया गया।
- **रेड टेप टू रेड कारपेट:** लालफीताशाही को समाप्त करके भारत में अनेक प्रक्रियाएं, नियमों और विनियमों में सुधार करके और यौक्तिकीकरण द्वारा 'कारोबार कार्य को सुकर' बनाया।
- **देश के उत्तर-पूर्वी भाग को मुख्य धारा में लाना:** प्रधान मंत्री की दो यात्राओं और महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की शुरुआत के साथ विकास प्रक्रिया में उत्तर-पूर्व को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
- **राष्ट्र और इसकी संस्कृति पर गर्व:** योग, नमामि गंगे, घाट और धरोहर नगर विकास कार्यक्रमों को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता दिलाकर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति को सामर्थ्य प्रदान की।

बजट भाषण के भाग ख में अनुबंध

वित्त विधेयक, 2015 में आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, वित्त अधिनियम, 1994 और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों का सार निम्नलिखित है :

प्रत्यक्ष कर

2. कर की दरें

- 2.1. यह प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2015-16 में अर्जित आय, निर्धारण वर्ष 2016-17 में निर्धारणीय, के संबंध में व्यक्तिगत आय कर की दर में और विदेशी कंपनियों के लिए कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- 2.2. यह भी प्रस्ताव है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाले व्यक्तियों, हिंदु अविभक्त कुटुम्बों (एचयूएफ), व्यक्तियों के संगम (एओपी), व्यक्तियों के निकाय (बीओआई), कृत्रिम वैधिक व्यक्तियों, फर्मों सहकारी सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों पर 12 प्रतिशत की दर से प्रभार उदग्रहीत किया जाए। 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली घरेलू कंपनियों के मामले में प्रभार 7 प्रतिशत की दर से उदग्रहित करने का प्रस्ताव है और 10 करोड़ रुपए से अधिक आय वाली घरेलू कंपनियों पर 12 प्रतिशत की दर से प्रभार उदग्रहित करने का प्रस्ताव है।
- 2.3. यह भी प्रस्ताव है कि विदेशी कंपनियों के मामले में यदि आय 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है तो 2 प्रतिशत की दर से, तथा यदि आय 10 करोड़ रुपए से अधिक है तो 5 प्रतिशत की दर से प्रभार उदग्रहित किया जाता रहेगा।
- 2.4. यह भी प्रस्ताव है कि कंपनियों द्वारा लाभांशों के संवितरण और शेयरों की पुनः खरीद अथवा म्यूचुअल फंडों और आय के संवितरण पर प्रतिभूतीकरण न्यासों द्वारा संदेय अतिरिक्त आय कर पर 10 प्रतिशत की चालू दर के स्थान पर 12 प्रतिशत की दर से प्रभार उदग्रहित किया जाए।
- 2.5. सभी कर दाताओं के लिए सर्वव्यापीकृत गुणवत्ता आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने और इसके लिए वित्त-पोषण प्रदान कराने की सरकार की प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए 2 प्रतिशत की दर से आय कर पर शिक्षा उप कर और कर तथा प्रभार पर 'माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर' नामक 1 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है।

3. क. काला धन नियंत्रण के लिए उपाय

- 3.1. स्थावर भू-संपदा में काले धन के सृजन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, आय कर अधिनियम की धारा 269धध और धारा 269न के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि स्थावर संपत्ति में किसी लेन-देन के लिए 20,000/- अथवा अधिक रुपए की नकद अग्रिम स्वीकृति या अदायगी को प्रतिषिद्ध किया जा सके। ऐसे उपबंधों के उल्लंघन के मामले में समान धनराशि की शास्ति का उपबंध करने का प्रस्ताव भी है।
- 3.2. सीमा शुल्क (सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 132) से संबंधित किसी कारोबार के निष्पादन में गलत घोषणा करने/गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के अपराध की व्यापार आधारित धन-शोधन पर रोक लगाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत स्थापित अपराध की संज्ञा देना।

- 4. ख. घरेलू विनिर्माण के संवर्धन और निवेश माहौल (मेक इन इंडिया) में सुधार करने के उपाए**
- 4.1 विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों और इस संबंध में हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव है कि सामान्य परिहार्य-रोधी नियमों (जनरल एंटी अवोइडेंस रूल्स) के प्रवर्तन को 2 वर्ष तक स्थगित रखा जाए। तदनुसार, इसे वित्त वर्ष 2017-18 (वि.वर्ष 2018-19) और पश्चातवर्ती वर्षों की आय के लिए लागू करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि 31.03.2017 तक किए गए निवेश जीएएआर के अंतर्गत नहीं आएंगे।
- 4.2 वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) की कराधान पद्धति को सहज बनाने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अभिशासित एआईएफ श्रेणी-I और श्रेणी-II की भी सभी उप-श्रेणियों को पास-थ्रू दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- 4.3 भारत में अपतटीय निधियों के निधि प्रबंधकों को पुनःअवस्थित करने को सुगम बनाने के उद्देश्य से, स्थायी स्थापन (पीई) मानकों में सुधार करने का प्रस्ताव है।
- 4.4 आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 94 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव है कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिसूचित क्षेत्रों में 1.4.2015 से 31.3.2020 की अवधि के दौरान स्थापित नई विनिर्माण यूनिटों को अतिरिक्त निवेश भत्ता (@15%) और अतिरिक्त अवक्षयण (@15%) उपलब्ध कराया जाए।
- 4.5 स्थावर संपदा निवेश न्यासों और अवसंरचना निवेश न्यासों के संबंध में, यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि प्रयोजक के साथ सूचीकरण के समय यूनिटों की भारी बिक्री के संबंध में वही व्यवहार किया जाएगा जो उसके लिए उस समय उपलब्ध होगा; यदि उसने प्रत्यक्ष सूचीकरण की अवस्था में विशेष प्रयोजन संस्था की उसकी शेयरधारिता की बिक्री करने पर किया जाता। इसके अतिरिक्त, स्थावर संपदा निवेश न्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित स्थावर संपदा आस्तियों से उत्पन्न होने वाली किराये संबंधी आय को भी न्यास के जरिए पारित किए जाने और स्थायी संपदा निवेश न्यास के यूनिट धारकों को कर लगाए जाने की अनुमति दिए जाने का भी प्रस्ताव है।
- 4.6 आयकर अधिनियम का धारा 194ठघ के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कार्पोरेट बंध पत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों से विदेशी निवेशकों (एफआईआई और क्यूएफआई) की आय के संदर्भ में 5% कर की घटी दर की अनुप्रयोज्यता अवधि 31.5.2015 से बढ़ाकर 30.6.2017 तक की जा सके।
- 4.7 लघु कंपनियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का निराकरण करने और प्रौद्योगिकी अंतर्वाह को सुकर बनाने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम की धारा 115क के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी पर कर दर को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा सके।
- 4.8 रोजगार सृजन को सुकर बनाने के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम की धारा 80जकक के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कर लाभ किसी कारखाने में वस्तुओं के विनिर्माण से लाभ प्राप्त करने वाले और वर्ष के दौरान नियोजित 50 से अधिक कामगारों में नए नियमित कामगारों को मजदूरी की अदायगी करने वाले प्रत्येक 'व्यक्ति' के लिए उपलब्ध होगा।
- 4.9 किसी विनिर्माण यूनिट या विद्युत के उत्पादन या वितरण में लगी किसी यूनिट द्वारा संस्थापित

नए संयंत्र या मशीनरी पर 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति है। तथापि, यदि पिछले वर्ष के 30 सितम्बर तक आस्ति संस्थापित की जाती है तो केवल 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति है। उत्तरवर्ती वित्त वर्ष में शेष 10 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल्यहास की ही अनुमति है।

5. ग. कारोबार विवाद समाधान को सुकर बनाने के लिए न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन

5.1 वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 9 को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया था कि यदि किसी कंपनी या संस्था में कोई आस्ति, शेयर होने के कारण, या ब्याज, भारत में स्थित किसी शास्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना मूल्य पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लेती है, तो ऐसे शेयर या ब्याज के अंतरण से प्रोद्भूत लाभ भारत में कर योग्य होगा। स्पष्टीकारक संशोधन के उपरांत, विभिन्न पक्षकारों से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए जिनमें संशोधित उपबंधों में प्रयुक्त कतिपय शब्दों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गए थे। चिन्ताओं की जांच-पड़ताल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई थी। विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं और विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे निम्न प्रावधान किया जा सके—

- * शेयर या ब्याज को भारत में स्थित आस्तियों से पर्याप्त रूप से अपना मूल्य प्राप्त करने वाला माना जाएगा, यदि विनिर्दिष्ट तारीख को, ऐसी आस्तियों का मूल्य कंपनी या संस्था द्वारा स्वामित्वाधीन सभी आस्तियों के उचित बाजार मूल्य का कम से कम पचास प्रतिशत को प्रदर्शित करता हो। तथापि, यदि भारतीय आस्तियों का मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो तो अप्रत्यक्ष अंतरण के उपबंध लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, भारतीय आस्तियों के अप्रत्यक्ष अंतरण से उत्पन्न होने वाले लाभों के कराधान के लिए आनुपातिकता का सिद्धांत लागू होगा।
- * भारतीय कंपनी, भारतीय कंपनी या संस्था की स्वामित्व संरचना या नियंत्रण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने के आशय वाले अपतटीय संव्यवहार से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगी। अनुपालन न करने पर, शास्ति लगाए जाने का भी प्रस्ताव है।
- * अप्रत्यक्ष कर संबंधी उपबंध उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां किसी संस्था से जुड़े उद्यमों के साथ-साथ किसी विदेशी कंपनी में शेयर या ब्याज के अंतरणकर्ता के पास न तो नियंत्रण या प्रबंधन का अधिकार हो, न मत देने की शक्ति हो अथवा शेयर पूंजी या ब्याज विदेशी कंपनी या संस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय आस्तियों की धारिता में कुल मतदान शक्ति या कुल शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से अनाधिक हो।
- * आमेलन या वि-संबद्धन की स्कीम के अधीन किसी भारतीय कंपनी के शेयरों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना मूल्य पर्याप्त रूप से प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनी के शेयर के अंतरण के संदर्भ में पूंजीगत लाभों को छूट दी जाएगी।

5.2 आयकर अधिनियम की धारा 92खक के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे अंतरण मूल्य निर्धारण विनियमों की विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहारों की प्रारम्भिक सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जा सके।

- 5.3 आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के उपबंधों में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे "योगा" को "धर्मार्थ प्रयोजन" की परिभाषा में कार्यकलाप की विशिष्ट श्रेणी में शामिल किया जा सके और असली धर्मार्थ संगठनों द्वारा किए गए कारोबारी प्रकृति के कार्यकलापों के लिए इस शर्त के अधिधीन राहत का भी प्रावधान किया जा सके कि ऐसे कार्यकलापों से आय कुल प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से कम हो।
- 5.4 यह प्रस्ताव है कि सेबी अधिदेश के अनुसार समाशोधन नियमों द्वारा स्थापित मूल समझौता गारंटी निधि की आय को कर मुक्त किया जाए।
- 5.5 आयकर अधिनियम की धारा 255 के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि आयकर अपील अधिकरण की एकल सदस्य पीठ द्वारा सुने जाने वाले मामले के संबंध में मौद्रिक सीमा को 5,00,000 रुपए से बढ़ाकर 15,00,000 की जाए।
- 5.6 आयकर अधिनियम के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि सेबी विनियम 1996, के अनुसार म्युचुअल फंड की स्कीमों के समेकन की प्रक्रिया के अंतर्गत म्युचुअल फंड की स्कीम की अंतरण पर कर तटस्थता प्रदान की जा सके।
- 5.7 आयकर अधिनियम के उपबंधों का संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि हर वर्ष विधि के एक ही प्रश्न पर निर्धारिती के समान मामले में राजस्व द्वारा पुनरुवृत्ति स्वरूप की अपीलों की पूर्व सुनवाई के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की जाए।
- 5.8 यह प्रस्ताव है कि विदेशी अधिकार क्षेत्रों में संगत करों के संबंध में राहत प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करने हेतु बोर्ड को सशक्त किया जाए।
- 5.9 यह प्रस्ताव है कि कर दाताओं पर अनुपालन भारांश को कम करने के लिए 2016-17 से (निर्धारण वर्ष) धन कर के उपग्रहण समाप्त किया जाए। ऐसे उत्साधन के कारण हुई राजस्व हानि को घेरलू कम्पनियों और सभी कारपोरेट-भिन्न करदाताओं के मामले में विद्यमान अधिभार में 2 प्रतिशत की वृद्धि करके प्रतिपूर्ति करने का प्रस्ताव है।
- 5.10 करदाताओं को समझौता आयोग के रूप में उपलब्ध विकास समाधान तंत्र की युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से यह उपबंधित करने का प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा फिर से खोले गए निर्धारण वर्ष के संबंध में निपटान आयोग को आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्धारिती अन्य निर्धारण वर्षों के संबंध में भी आवेदन कर सकता है जिनके संदर्भ में कार्यवाही फिर से शुरू की जा सकती है बशर्ते उन निर्धारण वर्षों के लिए आय रिटर्न निर्धारिती द्वारा जमा कराया गया हो।
- 6. घ.स्वच्छ भारत कार्यक्रम के जरिए जीवन की गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य में सुधार करना**
- 6.1 यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि स्वच्छ भारत कोष (निवासी और अनिवासी दोनों द्वारा) और स्वच्छ गंगा निधि (निवासी द्वारा) में दिए गए दान (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार किए गए सीएसआर अंशदानों को छोड़कर) आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अंतर्गत 100% कटौती के पात्र होंगे।

7. ड. मध्यम वर्ग करदाताओं के लिए लाभ

व्यक्तिगत करदाताओं के बीच बचतों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य देख-रेख को संवर्धित करने की दृष्टि से, आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहनों के माध्यम से अनेक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। इनका विवरण निम्नवत है :

- 7.1 यह उपबंधित करने का प्रस्ताव है कि सुकन्या समृद्धि योजना में किए जाने वाला निवेश धारा 80ग के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र होगा तथा इस स्कीम से किये जाने वाले किसी भी संदाय पर कर नहीं लगेगा।
- 7.2 आयकर अधिनियम की धारा 80घ के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करना) करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि अत्यंत वरिष्ठ नागरिक जो स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए तैयार नहीं हैं, के मामले में उसी धनराशि की व्यय की कटौती की अनुमति दी जाए।
- 7.3 यह प्रस्ताव है कि आय कर अधिनियम की धारा 80घघ के अंतर्गत अत्यंत वरिष्ठ नागरिक के मामले में निर्दिष्ट बीमातियों के कारण होने वाले व्यय पर कटौती की सीमा 60,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी जाए।
- 7.4 यह प्रस्ताव है कि आयकर की धारा 80घघ के अंतर्गत आश्रित विकलांग व्यक्ति के चिकित्सा उपचार सहित, देख भाल के संबंध में कटौती की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी जाए। यह भी प्रस्ताव है कि गंभीर विकलांगता की दशा में, कटौती की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दी जाए।
- 7.5 यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 80प के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी जाए। यह भी प्रस्ताव है कि गंभीर विकलांग की दशा में कटौती की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दी जाए।
- 7.6 प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 80गग के अंतर्गत एलआईसी या इरडा अनुमोदित बीमाकर्ता की पेंशन निधि में अंशदान के कारण कटौती की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी जाए।
- 7.7 यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 80गगघ के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले अंशदान के कारण कटौती की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दी जाए। यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में किए गए अंशदान के संबंध में 1.50 लाख रुपए की सीमा के अलावा, 50,000 रुपए की कटौती प्रदान की जाए।
- 7.8 आयकर अधिनियम की धारा 197क के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि जीवन बीमा पॉलिसी की कर योग्य परिपक्वता आगमों में प्राप्तकर्ताओं द्वारा कर की कटौती न किए जाने की स्वयं घोषणा दर्ज करने की सुविधा दी जा सके।
- 7.9 आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निवासी से स्थावर संपत्ति खरीद रहे किसी व्यक्ति को कर कटौती करानी अपेक्षित है किंतु इस प्रकार काटे गए कर को जमा करने के लिए टैन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। किसी अनिवासी से स्थावर संपत्ति खरीदने वाले किसी

व्यक्ति अथवा हिंदू अविभक्त परिवार को वही सुविधा देने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति अथवा हिंदू अविभक्त परिवार जो किसी अनिवासी से स्थावर संपत्ति के अधिग्रहण पर कर कटौती की जानी अपेक्षित है, द्वारा टैन प्राप्त करने की शर्त को शिथिल किया जाए।

7.10 यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण निधि को दिए गए दान आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अंतर्गत 100% कटौती के पात्र हैं।

7.11 पैरा 99 में उल्लिखित कर कटौतियों के ब्यौरे

● धारा 80ग के अन्तर्गत कटौती	₹1,50,000
● धारा 80गगघ के अन्तर्गत कटौती	₹50,000
● मकान सम्पत्ति ऋण पर ब्याज पर कटौती (स्वयं द्वारा अधिगृहित सम्पत्ति)	₹2,00,000
● स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर धारा 80घ के अन्तर्गत कटौती	₹25,000
● परिवहन भत्ते पर छूट	₹19,200
जोड़	₹4,44,200

8. च. युक्तिकरण उपाय

8.1 यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि किसी स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) अथवा विदेशी बैंक की शाखा द्वारा अपने मुख्यालय और विदेशी शाखा में अदा किए गए ब्याज की प्रभार्यता कराधान के स्रोत नियम के अंतर्गत और आय की संगणना के लिए उस स्थायी प्रतिष्ठान अथवा शाखा के साथ व्यवहार करने और टीडीएस लगाने के प्रयोजनार्थ कर योग्य निकाय माना जाए।

8.2 किसी समुद्री कर्मी, चाहे वह भारतीय या विदेशी जहाज कार्यरत हो, के मामले में 'निवासी' स्तर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ भारत में रहने की अवधि की संगणना के एक समान तरीके की व्यवस्था करने के दृष्टिगत यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि नियमों में इसके निर्धारण के लिए सीबीडीटी को समर्थकारी शक्ति दी जाए।

8.3 तलाशी मामले में, प्रस्ताव है कि जब्त की गई नकद राशि निर्धारिती के निबटान आवेदन के अंतर्गत उसकी कर देयता के प्रति समायोजित की जाए।

8.4 अनिवासियों को किए गए भुगतानों पर समुचित कर कटौती सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि आयकर की धारा 195 के उपबंधों को संशोधित किया जाए जिससे कि निश्चित विदेशी प्रेषणों, जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि उन पर कर नहीं लगता है, के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए सी.बी.डी.टी. को समुचित रूप से सशक्त बनाया जा सके।

अप्रत्यक्ष कर

क. घरेलू विनिर्माण और 'मेक इन इंडिया' को संवर्धित करने के लिए वृद्धि और निवेश चक्र का पुनरुज्जीवन

सीमा शुल्क

I. शुल्क व्युत्क्रमण की समस्या के समाधान के लिए कतिपय निविष्टियों पर शुल्क में कमी:

1. बिजली इन्सुलेटर के विनिर्माण के प्रयोग हेतु 'धातु पुर्जे'।

2. इन्सूलेटिड वायर व केबलों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु इथीलेन-प्रोपीलेन-नान-कंजुगेटिड-डिने रबड़ (ईपीडीएम), वाटर ब्लाकिंग टेप और माइका ग्लास टेप।
3. घरेलू माइक्रोवेव चूल्हों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले 1 के.वी. तक मैग्नेट्रॉन।
4. रेफ्रीजरेटर कंप्रेसरों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु कंप्रेसर के लिए सी-ब्लाक, ओवर लोड प्रोटेक्टर (ओएलपी) और पाजीटिव थर्मल कोएफिशिएंट और कंप्रेसर हेतु क्रैंक शाफ्ट।
5. वाशकोटों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए जियोलाइट, सेरिया जिनकोनिया कंपाउंड और सिरियम कंपाउंड, जिनका आगे कैटालाइटिक कन्वर्टर्स के विनिर्माण में प्रयोग होना है।
6. हाइड्रोजन पराक्साइड के विनिर्माण हेतु एंथ्राकुइनोन।
7. उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु सल्फ्यूरिक एसिड।
8. अधिकतम भंडारण क्षमता (विस्तारित सहित) क्षमता का प्रयोग करते हुए सिंगल सिक्वेंस में कम से कम 30 मिनट के लिए न्यूनतम 23 फ्रेम प्रति सैकेंड पर 800x600 पिक्सल्स के न्यूनतम समाधान के चलते विडियो रिकार्डिंग की क्षमता वाले डिजीटल स्टिल इमेज विडियो कैमरा के कल-पुर्जे।

II. कच्चे माल की लागत घटाने के लिए बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती:

1. इथीलीन डाइक्लोराइड (ईडीसी), बिनाईल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) और स्टाइरीन मोनोमर (एसएम) 2.5% से 2%
2. इसोप्रेन और ड्रवित बुटेन 5% से 2.5%
3. बुटाईल एक्रिलेट 7.5% से 5%
4. यूलेक्साइट अयस्क 2.5% से शून्य
5. एंटीमनी धातु, एंटीमनी वेस्ट और स्क्रेप 5% से 2.5%
6. विनिर्दिष्ट सीएनसी लेथ मशीनों और मशीन केंद्रों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु विनिर्दिष्ट संघटक 7.5% से 2.5%
7. फ्लेक्सिबल मेडिकल विडियो एंडोस्कोप के विनिर्माण में प्रयोग हेतु कतिपय विनिर्दिष्ट निविष्टियां 5% से 2.5%
8. टेलीकम्यूनिकेशन ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर केबलों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु एचडीपीई 7.5% से शून्य
9. एलसीडी/एलईडी टीवी पैनलों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु ब्लैक लाइट यूनिट मोड्यूल 10% से शून्य
10. आर्गेनिक लेड (ओलेड) टीवी पैनल 10% से शून्य
11. पेसमेकर के विनिर्माण में प्रयोग हेतु विनिर्दिष्ट कच्चे माल [बैटरी, टिटिनियम, प्लाडियम वायर, यूटेक्टिक वायर, सिलीकान रेश और रबड़ सोल्डर पेस्ट, रीड स्विच, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, कंट्रोलर्स, कायल्स (स्टील), रबींग (सिलीकॉन)] सीवीडी और एसएडी से पूर्णतया छूट।

12. सोलर वाटर हीटर और इसके सिस्टम के विनिर्माण में प्रयोग हेतु सोलर स्लेक्टिव की तीन तहों वाले इवेक्यूएटिड ट्यूब-शून्य।
13. नवीकरणीय विद्युत प्रणाली (आरपीएस) इन्वर्टरों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु एक्टिव एनर्जी कंट्रोलर (आईसी), एमएनआई द्वारा प्रमाणन के अधधीन 5%।
14. टेबलेट कम्प्यूटर के विनिर्माण में प्रयोग हेतु कल पुर्जे और सहायक पुर्जे तथा इन कलपुर्जों और सहायक पुर्जे तथा इन कलपुर्जों और सहायक पूजों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु उनके उप-हिस्से बीसीडी, सीवीडी और एसएडी से पूर्णतया छूट दी जा रही है।

III. सेनवैट क्रेडिट संग्रहण की समस्या के समाधान हेतु एसएडी में कमी

1. आईटीए बाउंड सामान के विनिर्माण में प्रयोग हेतु सीमाशुल्क टैरीफ के किसी अध्याय में आने वाले पापुलेटिड पीसीबी के सिवाय सभी सामान 4% से शून्य
2. उत्पाद शुल्क योग्य सामानों के विनिर्माण हेतु नापथा, एथीलीन डाइक्लोराइड (इडीसी), विनाईल क्लोराइड मोनोमेट (वीसीएम) और स्टाइरेन मोनोमेट (एसएम) 4% से 2%
3. लोहा व इस्पात; कापर, ब्रास और एल्यूमिनियम का धातु स्क्रेप 4% से 2%
4. एलईडी ड्राइवर, एलईडी लाइट के लिए एमसीपीईबी, फिक्सचर्स और एलईडी लैम्प के विनिर्माण में प्रयोग हेतु निविष्टियां 4% से शून्य।

IV. बुनियादी सीमा शुल्क में वृद्धि:

1. धातुकर्म कोक 2.5% से 5%
2. सीमाशुल्क टैरीफ के अध्याय 72 और 73 के अंतर्गत आने वाले लोहा और इस्पात तथा लोहे या इस्पात पर टैरीफ दर 10% से 15%। हालांकि, इन वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क की विद्यमान प्रभावी दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
3. वाणिज्यिक वाहनों पर टैरीफ दर 10% से 40% और प्रभावी दर 10% से 20%। हालांकि, पूरी तरह टूटे हुए वाहनों के वाणिज्यिक श्रेणी और पूरी तरह टूटे हुए वाहनों सहित बिजली चलित वाहनों पर सीमा शुल्क 10% जारी रहेगा।

V. विविध:

1. उन्नत इलमेनाइट पर निर्यात शुल्क 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
2. सेलूलर फोनों सहित मोबाईल हैंडसेटों के लिए उत्पाद शुल्क संरचना बदली जा रही है बिना सेनवैट क्रेडिट 1% अथवा सेनवैट क्रेडिट के साथ 6% से बिना सेनवैट क्रेडिट 1% अथवा सेनवैट क्रेडिट के साथ 12.5%
3. टेबलेट कम्प्यूटरों के लिए उत्पाद शुल्क ढांचा सेनवैट क्रेडिट के बगैर 2% अथवा सेनवैट क्रेडिट के साथ 12.5% पर निर्दिष्ट किया जा रहा है।
4. डिजिटल स्टिल इमेज विडियो कैमरा जो अधिकतम भंडारण क्षमता (विस्तृत सहित) का प्रयोग करके, एक बार में कम से कम 30 मिनट के लिए, न्यूनतम 23 फ्रेम प्रति सैकेंड पर, 800x600

पिक्सल की न्यूनतम विन्यास के साथ विडियो रिकॉर्डिंग करने में समर्थ हो, पर आधारभूत सीमा शुल्क शून्य कर दिया गया है। इन कैमरों के हिस्सों और पूर्णों पर आधारभूत सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया जा रहा है।

5. विद्युत प्रचालित वाहनों और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्दिष्ट भागों पर 6 प्रतिशत सीवीडी और शून्य एसएडी, शून्य आधारभूत सीमा शुल्क की रियायती सीमा शुल्क संरचना जो वर्तमान में 31.03.2015 तक उपलब्ध है को बढ़ाकर 31.03.2016 तक किया जा रहा है।

उत्पाद शुल्क

I. कतिपय वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क संरचना की पुनर्संरचना निम्नानुसार की जा रही है:

1. स्मार्ट कार्ड के लिए एकीकृत सर्किट (आईसी) के विनिर्माण में प्रयोग के लिए वेफरों पर 12% से 6%
2. एलईडी लाइटो, फिक्चर्स और एलईडी लैम्पों के लिए एईडी ड्राइवों और एमसीपीसीबी के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले इंपुटो पर 12% से 6%
3. सेल्यूलर फोनों सहित मोबाइल हैंडसेटों पर सेनवैट क्रेडिट रहित 1% अथवा सेनवैट क्रेडिट सहित 6% से सेनवैट क्रेडिट रहित 1% अथवा सेनवैट क्रेडिट सहित 12.5%। सेल्यूलर फोनों सहित मोबाइल हैंडसेटों पर 1% की एनसीसीडी में कोई परिवर्तन नहीं है।
4. टेबलैट कम्प्यूटर्स पर सेनवैट क्रेडिट रहित 12% से 2% अथवा सेनवैट क्रेडिट सहित 12.5%
5. पेसमेकर्स के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कच्चे माल [बैटरी, टाइटेनियम, पल्लाडियम, तार, यूटेक्टिक तार, सिलिकान रोल और रबड़, सोलडर पेस्ट, रीड स्विच, डाटाडस, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स नियंत्रकों, कॉयल (स्टील, ट्यूबिंग (सिलिकान))] पर शून्य।
6. एमएनआरई द्वारा प्रमाणन के अध्यक्षीन, पवन प्रचालित विद्युत जनरेटरों की ढलाई घटकों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पिग आयरन एसजी ग्रेड और फेर्रो-सिलिकान-मैगनेशियम पर शून्य।
7. सौलर वाटर हीटर और सिस्टम पर सेनवैट क्रेडिट रहित 12% से शून्य अथवा सेनवैट क्रेडिट सहित 12.5%।
8. इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिक विभाग द्वारा प्रमाणन के अध्यक्षीन सौलर पीवी सेलों के विनिर्माण हेतु सौलर पीवी रिबन के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली राउंड कॉपर तार और टिन मिश्रितों पर शून्य।

II. विविध:

1. 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक के खुदरा बिक्री मूल्य चमड़े के जूतों (ऐसे जूते जिनका ऊपरी भाग 4107 या 4112 से 4114 हेडिंग के चमड़े से बना हो) पर 12% से 6%।
2. रेलवे अथवा ट्रामवे के ट्रैक निर्माण के माल पर रेलों को अदा किए गए शुल्क के मूल्य पर, यदि ऐसी रेलों को अदा किए शुल्क पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ न लिया हो, तो उद्ग्रहीत उत्पाद शुल्क पर 17.03.2012 से 02.02.2014 की अवधि के लिए भूतलक्षी प्रभाव से छूट दी जा रही है।

ख. व्यवसाय को सुकर बनाने के लिए सुधार के लिए न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन

I. उद्ग्रहणों की संख्या में कमी

उत्पाद शुल्क

1. उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं पर उद्ग्रह किए जाने वाले शिक्षा उप कर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर को आधारभूत उत्पाद शुल्क में शामिल किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं पर उद्ग्रह किए जाने वाले शिक्षा उप कर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर पर पूर्णतया छूट दी जा रही है। आधारभूत उत्पाद शुल्क की मानक यथा मूल्य दर 12% से बढ़ाकर 12.5% की जा रही है और पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (बीड़ी को छोड़कर) पर आधारभूत उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दरों में उचित रूप से परिवर्तन किया जा रहा है। तथापि, **पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद के विभिन्न शुल्कों के कुल प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा।** कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य आधारभूत उत्पाद शुल्क दरों (यथा मूल्य तथा विनिर्दिष्ट) में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क, शिक्षा उप कर उद्ग्रहित किया जाता रहेगा।

II. उत्पाद शुल्क उद्ग्रह के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं के मूल्यांकन में निश्चितता और समरूपता सुनिश्चित करना:

1. आइस टी सहित अध्याय उप-शीर्ष 210120 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं 30% की कटौती के साथ खुदरा बिक्री मूल्य के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत अधिसूचित की जा रही हैं। ऐसी वस्तुओं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की तीसरी अनुसूची में भी शामिल किया जा रहा है।
2. नींबू शरबत और अन्य पेय पदार्थों जैसी वस्तुएं 35% की कटौती के साथ खुदरा बिक्री मूल्य के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत अधिसूचित की जा रही हैं। ऐसी वस्तुएं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की तीसरी अनुसूची में भी शामिल की जा रही हैं।

III. अनुपालन सुगमीकरण:

1. दो कार्यदिवसों के भीतर ऑनलाइन केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर पंजीकरण
2. निविष्टि और निविष्टि सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट लेने की समय-सीमा छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष की जा रही है।
3. पंजीकृत डीलरों से विक्रेताओं से ग्राहक के परिसर तक वस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रोजगार कामगारों के संबंध में भी इसी प्रकार की सुविधा अनुमत की जा रही है। पंजीकृत आयातकर्ता भी प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को आयात करने वाले पत्तन से वस्तुएं भेज सकता है।
4. सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में शास्ति के प्रावधानों का यौक्तिकीकरण अनुपालन और शीघ्र विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है।

- केंद्रीय उत्पाद/सेवाकर निर्धारितियों करदाताओं को डिजिटल तौर पर तैयार हस्ताक्षरित बीजक जारी करने और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों के रख-रखाव करने की अनुमति की जा रही है।

IV. विविध:

- प्रविष्टि 'जल' में वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में शामिल खनिज जल (मिनरल वॉटर) तथा चीनी युक्त और मीठे तथा अन्य सुगन्धित सामग्री युक्त वातित जल है जिन पर @ 5% की दर से लगने वाली अतिरिक्त ड्यूटी की लेवी हटाई जा रही है। इसी प्रकार इन वस्तुओं पर मूल उत्पाद शुल्क 12% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है।
- एम्बुलेंसों के चेसिस पर उत्पाद शुल्क 24% से घटाकर 12.5% किया जा रहा है।

ग. स्वच्छ भारत कार्यक्रमों के जरिए जीवन की गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य सुधारना

सीमा और उत्पाद शुल्क

- कोयला, लिग्नाइट और पीट पर वसूले जा रहे स्वच्छ ऊर्जा उपकरण की अनुसूचित दर को ₹100 प्रति टन से बढ़ा कर ₹300 प्रति टन किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा उपकरण की लागू दर की ₹100 प्रतिटन से बढ़ाकर ₹200 प्रतिटन किया जा रहा है।
- इलेक्ट्रिकल तौर पर चलने वाले वाहनों तथा हाईब्रीड वाहनों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर लगने वाली रियायती उत्पाद तथा सीमाशुल्क, जो कि अभी 31.03.2015 तक विद्यमान था, को बढ़ाकर 31.03.2016 तक किया जा रहा है।
- औद्योगिक उपयोगी से परे पालीसर एथिलीन के थैलों और बोरे पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के 12% से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है।

सेवा कर

- सभी अथवा कतिपय करयोग्य सेवाओं पर ऐसी कर योग्य सेवाओं के मूल्य पर एक स्वच्छ भारत उपकरण लगाने में केन्द्रीय सरकार को सक्षम बनाने की दृष्टि से एक समर्थकारी उपबन्ध तैयार किया जा रहा है। इस उपकरण से अर्जित राशि को स्वच्छ भारत की नवोन्मेषी पहलों पर खर्च किया जाएगा। यह उपकरण अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।
- कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आपरेटर द्वारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध क्षेत्रों को छूट प्रदान की जा रही है।

घ. अर्थव्यवस्था में लाभों को अधिकतम करने के अनोखे प्रस्ताव

घ.1. कराधार को व्यापक बनाना

उत्पाद शुल्क

- यूनिट कन्टेनरों में पैक संघनित कन्डेंस्ड दुग्ध पर सेनवट क्रेडिट के बिना 2% अथवा सेनवेट क्रेडिट के साथ 6% की उत्पाद शुल्क लिया जा रहा था। इसे खुदरा बिक्री मूल्य के संदर्भ में मूल्यांकन किए जाने के प्रयोजन से 30% की कमी के साथ केन्द्रीय उत्पाद कर अधिनियम की धारा 4क के अधीन अधिसूचित किया जा रहा है।

2. मूंगफली मकखन पर सेनवैट रहित 2% पर सेनेवैट क्रेडिट सहित 6% की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है।

सेवा कर

1. सेवा कर दरों में परिवर्तन

- (1) सेवा कर दर की 12% और शिक्षा उपकर से बढ़ाकर 14% किया जा रहा है। नई सेवा कर दर में 'शिक्षा उपकर' और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर' शामिल होगा। संशोधित दर अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।

II ऋणात्मक सूची की समीक्षा

- (1) राइड, बाउलिंगऐल, ऐम्युजमेंट आर्केड, वाटर पार्क, थीम पाई आदि जैसी आमोद-प्रमोद की सुविधाएं प्रदान करके की जाने वाली सेवाओं पर की वसूली।
- (2) कन्सर्टों, गैर-मान्यता प्राप्त स्पोर्टिंग इवेन्ट, पेजेन्ट, म्युजिक कन्सर्ट और अवार्ड फंक्शनों में प्रवेश, यदि प्रवेश हेतु वसूली जाने वाली राशि 500 रुपए से अधिक हो, द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा पर सेवाकर की वसूली सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, सर्कस, नृत्य, या नाटक, गीतनाटिका या मान्यता प्राप्त खेल कार्यक्रमों के प्रदर्शन में प्रवेश द्वारा सेवा पर छूट जारी रहेगी।
- (3) मानव खपत हेतु मादक द्रव्य के उत्पादन या विनिर्माण हेतु जॉब वर्क के रूप में किसी प्रक्रिया को करके दी जाने वाली सेवा पर सेवाकर की वसूली
- (4) ऋणात्मक सूची से किसी व्यावसायिक निकाय की सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को अलग रखने के लिए एक समर्थकारी उपबंध किया जा रहा है। इस संशोधन को लागू कर दिए जाने पर सरकार द्वारा व्यावसायिक निकायों को प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं यदि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई तो, तो वे कर योग्य हो जाएंगी।

III सामान्य छूट की समीक्षा

- (1) सरकार को प्रदान की जाने वाली निर्माण, सिविल संरचनाओं की मरम्मत आदि की विशिष्ट सेवाओं पर वर्तमान में उपलब्ध छूट केवल निम्नलिखित तक सीमित होगी:
 - (क) ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक महत्व की इमारतें या स्थल
 - (ख) नहर, बांध या अन्य सिंचाई संरचना;
 - (ग) (i) जल आपूर्ति (ii) जल उपचार, या (iii) मल-जल उपचार या निबटान हेतु पाइपलाइन, कन्ड्यूट या संयंत्र।
- (2) हवाई अड्डा या पत्तन से संबंधित मूल संरचनाओं को निर्मित करने, संरचित करने, चालू करने या संस्थापित करने पर कर छूट समाप्त की जा रही है।
- (3) (i) संगीत या (ii) नृत्य या (iii) थियेटर के रूप में लोक कला या क्लासिक की कला में परफॉर्म करने वाले कलाकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए छूट केवल ऐसे मामलों तक सीमित की जाएगी जिनमें प्रति परफॉर्मर्स (ब्रांड एम्बेस्डर) को छोड़कर वसूली गयी राशि 1,00,000 रुपए तक हो।

- (4) रेल या पोत या सड़क मार्ग से खाद्य सामग्रियों की दुलाई के लिए छूट केवल चावल और दाल, आटा, दूध और नमक सहित खाद्यान्नों की दुलाई तक ही सीमित होगी। कृषि उत्पादों की दुलाई पर अलग से छूट दी गई है जो जारी रखी जाएगी।
- (5) निम्नलिखित सेवाओं पर छूट हटाई जा रही है:
- (क) किसी म्युचुअल फंड एजेंट द्वारा किसी म्युचुअल फंड या आस्ति प्रबंधन कंपनी को प्रदान की गई सेवाएं;
 - (ख) म्युचुअल फंड के वितरक या एएमसी प्रदाता; और
 - (ग) एजेंट द्वारा लॉटरी के वितरक को लॉटरी टिकट का विक्रय या विपणन
- (6) निम्नलिखित सेवाओं पर छूट हटाई जा रही है:
- (क) विभागीय स्तर पर संचालित सार्वजनिक टेलीफोन
 - (ख) केवल स्थानीय कॉलों को संचालित करने वाले गारंटीशुदा सार्वजनिक टेलीफोन
 - (ग) निःशुल्क टेलीफोन से हवाई अड्डा या अस्पताल को टेलीफोन करके सेवा प्रदान करना जिसके लिए कोई बिल जारी नहीं किया जाता।
- (7) भारत से बाहर स्थित किसी कमीशन एजेंट द्वारा भारत में स्थित किसी निर्यातक को प्रदत्त सेवा पर मौजूदा छूट समाप्त की जा रही है। पूर्ववर्ती बजट में कानून में किए गए संशोधन जिसके द्वारा ऐसे एजेंटों द्वारा प्रदत्त सेवाएं कर नेट से बाहर कर दी गई हैं, को देखते हुए यह छूट अतिरिक्त हो चुकी है।

(घ) II राहत उपाय:

सीमाशुल्क

- (1) कृत्रिम हृदय (बायें निलय के लिए सहायक उपकरण) को 5% के बुनियादी सीमाशुल्क और सीबीडी से छूट प्रदान की जाए।

उत्पाद शुल्क

- (1) अगर बस्तियों के विनिर्माण के दौरान प्राप्त होने वाले विशेष तौर पर प्रयोग में लाये जाने वाले मध्यवर्ती यौगिक पदार्थ के लिए उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। अगर बस्तियों पर उत्पाद शुल्क शून्य है।

सेवा कर

- (1) फलों और सब्जियों के पूर्व-अनुकूलन, पूर्व शीतलन, पक्वन, वैक्सिंग खुदरा पैकिंग, लेबलिंग की सेवाओं को कर से छूट दी जा रही है।
- (2) वीएस पेंशन बीमा योजना द्वारा प्रदत्त जीवन बीमा सेवा को कर से छूट दी जा रही है।
- (3) प्रदर्शक/थियेटर के स्वामी द्वारा वितरक या प्रदर्शक में निहित व्यक्तियों के एसोसिएशन जो प्रदर्शन में निधि एक सदस्य हो, के समक्ष चलचित्र के प्रदर्शन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को कर से छूट दी जा रही है।

- (4) रोगियों को प्रदान की जा रही सभी एम्बुलेन्स सेवाओं को कर छूट दी जा रही है।
- (5) संग्रहालय, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण और व्याघ्र आरक्षित अभ्यारण में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा को छूट दी जा रही है।
- (6) कारखाना से सड़क द्वारा निर्यात के लिए भूमि सीमा शुल्क केन्द्र ले जाई जाने वाली वस्तु को छूट दी जा रही है।

घ. III अवसंरचना के लिए अतिरिक्त संसाधनों का आबंटन

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क

- (1) पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क (सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है) की अनुसूचित दरें 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति लीटर की जा रही है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क (सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है) की प्रभावी दरों को बढ़ाकर 2 रुपये प्रति लीटर से 6 रुपये प्रति लीटर किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल तेल पर (ब्रांडिड और गैर-ब्रांडिड दोनों) बुनियादी उत्पाद शुल्क दरों को 4 रुपये प्रति लीटर कम किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर बुनियादी उत्पाद शुल्क दरों को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा रहा है ताकि उनपर वर्तमान में लगाए जाने वाले शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर को आमेलित किया जा सके। इस प्रकार से ब्रांडिड पेट्रोल पर बुनियादी उत्पाद शुल्क में निवल कटौती 3.46 रुपये प्रति लीटर गैर-ब्रांडिड पेट्रोल पर 3.49 रुपये प्रति लीटर, ब्रांडिड डीजल पर 3.63 रुपये प्रति लीटर और गैर ब्रांडिड डीजल पर 3.70 रुपये प्रति लीटर है। तथापि, पेट्रोल और डीजल पर कुल भार अपरिवर्तित है।

घ. IV जन सवास्थ्य का संवर्धन

उत्पाद शुल्क

- (1) 65 मि.मी. से अनधिक लम्बाई वाले सिगरेट के लिए सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 25% और अन्य लम्बाई के सिगरेट पर 15% बढ़ाया जा रहा है सिगार, चुर्रुट और सिगारिलोस पर इसी प्रकार की बढोत्तरी करने का प्रस्ताव है।
- (2) वर्तमान में पान मसाला, गुटखा और चबाने वाले तम्बाकू पर लागू मिश्रित लेबी स्कीम के अंतर्गत देय उत्पाद शुल्क का निर्धारण करने के लिए उत्पादन के लिए संगत कारक के रूप में पैकिंग मशीन की अधिकतम गति विनिर्दिष्ट की जा रही है। तदनुसार गति के दायरे के संदर्भ में, जिसमें पैकिंग मशीन की अधिकतम गति आती है, उत्पादन और प्रति मशीन प्रतिमाह देय शुल्क को अधिसूचित किया जा रहा है।

घ. V सेवा कर से संबंधित अन्य उपाय

1. वित्त अधिनियम, 1994 में परिवर्तन

1. "सरकार" शब्द की परिभाषा अधिनियम में शामिल की जा रही है ताकि नकारात्मक सूची और सेवा कर में छूट के संदर्भ में इस शब्द की के क्षेत्र के संबंध में व्याख्यात्मक समस्याओं का समाधान किया जा सके।

2. निम्नलिखित पर कर लगाने के लिए विधायिका के आशय को विशिष्टरूप से बताने हेतु "सेवा" शब्द की परिभाषा में संशोधन करना:
 - i. चिट के संचालन द्वारा चिट फंड फोरमैन; और
 - ii. किसी लाटरी के आयोजन और संचालन के लिए राज्य के संवर्धन, विपणन, वितरण, बिक्री, या किसी अन्य तरीके से सहायता करने के लिए आयोजक राज्य द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत लाटरी का वितरक या बिक्री अभिकर्ता।
3. अधिनियम में यह विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा रहा है कि किसी करयोग्य सेवा के मूल्य में विधिक स्थिति को स्पष्ट करने और विवादों से बचने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा की गई अथवा प्रभारित कोई प्रतिपूरणीय लागत या व्यय शामिल होगा।
4. अधिनियम की धारा 66च यह निर्धारित करती है कि जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तब तक किसी सेवा के संदर्भ में, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किसी इनपुट सेवा का संदर्भ सम्मिलित नहीं होगा। इस उपबंध के कार्यक्षेत्र को निर्देशित करने के लिए इस खंड में एक उदाहरण समाविष्ट किया जा रहा है।

2. उपशमन का यौक्तिकीकरण

1. रेल, सड़क और पोत द्वारा परिवहन क्षेत्रों में समानता लाने के लिए इन क्षेत्रों हेतु एक एक समान उपशमन निर्धारित किया जा रहा है। इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने की एकसमान शर्त के अध्यक्षीन ऐसी सेवा के 30 प्रतिशत मूल्य पर सेवाकर देय होगा। वर्तमान में, रेल परिवहन के मामले में 30 प्रतिशत मूल्य, सड़क परिवहन के मामले में 25 प्रतिशत मूल्य और पोतों द्वारा परिवहन के मामले में 40 प्रतिशत मूल्य पर कर देय है।
2. एक्जक्यूटिव (कारोबार/प्रथम श्रेणी) हवाई यात्रा, जिसमें सेवा का घटक उच्चतर है, में उपशमन को 60 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। परिणामतः, कारोबार श्रेणी के लिए भाड़ा मूल्य के 60 प्रतिशत पर सेवा कर देय होगा।
3. चिट फंड सेवा पर उपशमन को वापस लिया जा रहा है।

3. सेवा कर नियम

1. संकलनकर्ता मॉडल के अधीन प्रदान की गई किसी सेवा के संदर्भ में, संकलनकर्ता को सेवाकर की अदायगी हेतु उत्तरदायी माना जा रहा है। यदि किसी भी तरह संकलनकर्ता के ब्रांड नाम का प्रयोग करके सेवा प्रदान की जाती है।
2. सेवाकर दर में ऊर्ध्वगामी संशोधन के परिणामस्वरूप, विनिर्दिष्ट सेवाओं, अर्थात्, जीवन बीमा सेवा, हवाई यात्रा अभिकर्ता सेवाओं, बैंकों या प्राधिकृत डीलरों द्वारा प्रदत्त धन परिवर्तन सेवा, और लाटरी वितरण तथा बिक्री अभिकर्ता द्वारा प्रदत्त सेवा पर विन्यास दर को आनुपातिक रूप से संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।

4. परावृत्त प्रभार प्रणाली

1. जब किसी निकाय कार्पोरेट को व्यक्ति विशेष हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब; साझेदारी वाले प्रतिष्ठान द्वारा जनशक्ति आपूर्ति और सुरक्षा सेवाएं प्रदान की गई हैं तो उन्हें सरलीकरण उपाय के रूप में पूर्ण परावृत्त प्रभार के तहत लाया जा रहा है। वर्तमान में, इन पर आंशिक परावृत्त प्रभार प्रणाली के तहत कर लगाया जाता है।
2. म्यूचुअल फंड अभिकर्ताओं, म्यूचुअल फंड वितरकों और लाटरी अभिकर्ताओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं को ऐसी सेवाओं पर छूट वापस ले लेने के परिणामस्वरूप परावृत्त प्रभार के तहत लाया जा रहा है।

5. सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004

सेवा प्राप्त कर्ता द्वारा आंशिक परावृत्त प्रभार के तहत अदा किए गए सेवा कर को व्यापार को सुकर बनाने के उपाय के रूप में सेवा प्रदाता को सेवा मूल्य की अदायगी से जोड़े बिना क्रेडिट की अनुमति प्रदान करने के लिए सेनवैट क्रेडिट नियमावली में संशोधन किए जा रहे हैं।